मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2008–09

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वर्ष 2008–2009

प्रभारी मंत्री	श्री राघवजी
प्रमुख सचिव	श्री अशोक दास (दिनांक 23,12,2008 तक)
प्रमुख सचिव	श्री जी.पी.सिंघल (दिनांक 23,12,2008 से)
सचिव	श्री प्रभाकर बंसोड (दिनांक 16.10.2008 से)
सचिव	श्रीमती अलका उपाध्याय (दिनांक 3,1,2009 से)
अपर सचिव	श्रीमती पल्लवी जैन गोविल (दिनांक 14-1-2008)
अपर सचिव	श्री असित गोपाल (दिनांक 20,10,2008 से)
संचालक,बजट एवं अपर सचिव	श्री मनीष रस्तोगी (दिनांक 19.01.2009 से)
उप सचिव	डॉ.ई.रमेश कुमार
उप सचिव	श्री मिलिन्द्र वाईकर
उप सचिव	श्रीमती विजयलक्ष्मी बारस्कर
अवर सचिव	श्री मोहम्मद रज्जाक
अवर सचिव	श्री अदिती त्रिपाठी
अवर सचिव	श्री अजय चौबे
अवर सचिव	श्री बीरेन्द्र कुमार
अवर सचिव	श्री डी.के.सक्सैना
अवर सचिव	श्री बाबूलाल जैसवार
अवर सचिव	श्रीमती कुसुम ठाकुर
संचालनालय	**आयुक्त / संचालक**
आयुक्त कोष एवं लेखा	श्री प्रभाकर बंसोड
आयुक्त,स्थानीय निधि संपरीक्षा	श्रीमती सुधा चौधरी
संचालक,संस्थागत वित्त	श्रीमती पल्लवी जैन गोविल
संचालक,अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज	श्रीमती पल्लवी जैन गोविल
आयुक्त,पेंशन,भविय निधि एवं बीमा	श्रीमती अनुराधा मुखेडकर
संचालक,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली	श्री मनीष रस्तोगी
निगम / कम्पनी / मण्डल	**प्रबंध संचालक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी**
मध्यप्रदेश वित्त निगम	श्री नीरज मण्डलोई
प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड	श्री के.डी.मेनन महाप्रबंधक
मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान बोर्ड	श्रीमती पल्लवी जैन गोविल

अनुक्रमाणिका

अध्याय	खण्ड	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
I.		वित्त विभाग की भूमिका तथा संरचना	1
	I. I	विभागीय भूमिका	1
	I.2	संरचना	3
	I.3	विभागाध्यक्ष	3
	I.4	निगम / मण्डल	4
2.		**संचालनालय कोष एवं लेखा**	5
	2.1	सामान्य जानकारी	5
	2.2	अधीनस्थ कार्यालय	5
	2.3	अमला	5
	2.4	मुख्य दायित्व	6
	2.5	उपलब्धियॉ	8
3.		**संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म0प्र0**	14
	3.1	सामान्य जानकारी	14
	3.2	स्वीकृत अमले की स्थिति	14
	3.3	पदोन्नति	15
	3.4	विभागीय जांच	16
	3.5	नियुक्तियॉ	16
	3.6	स्थानांतरण	16
	3.7	न्यायालयीन प्रकरण	16
	3.8	संपरीक्षा शुल्क	16
	3.9	प्रशिक्षण एवं परीक्षाएं	16
	3.10	संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूपण एवं प्रसारण के संबंध में	17
	3.11	संपरीक्षा कार्य	17
	3.12	अधिभार	18
	3.13	अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण के संबंध में	19
	3.14	सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के क्रियान्वयन	19
	3.15	राज्य की महिला नीति एवं कार्य योजना	20
	3.16	बीमा अनुभाग परिचय	20
	3.17	बीमा विभाग व्दारा संचालित बीमा योजनाएं	20
	3.18	बीमा योजनाओं के संचालन में विभाग की भूमिका	21
	3.19	पूर्व बीमा योजनाओं के अंतर्गत किये गये भुगतान	21
	3.20	बीमा सह बचत योजना–2003 के अंतर्गत प्राप्तियों एवं भुगतानों की स्थिति	21

	3.21	विभिन्न बीमा योजनाओं के अंतर्गत जमा राशियों की स्थिति	22
4.		**संस्थागत वित्त संचालनालय**	24
	4.1	सामान्य जानकारी	24
	4.2	अधीनस्थ कार्यालय व अमला	25
	4.3	परियोजना प्रबंध इकाई	25
	4.4	राज्य ब्रिस्क योजना	27
	4.5	मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम,2000	28
	4.6	मध्यप्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन	29
	4.7	प्रदेश में बैकिंग क्षेत्र की स्थिति	29
	4.8	महिला नीति का क्रियान्वयन	31
5.		**संचालक,पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा,मध्यप्रदेश**	32
	5.1	सामान्य जानकारी	32
	5.2	स्वीकृत अमले की स्थिति	33
	5.3	पेंशन संचालनालय के दायित्व	33
	5.4	पेंशन प्रकरणों की प्रगति	34
	5.5	पेंशन कार्य का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण	34
	5.6	पेंशन कार्य का अंकेक्षण	35
	5.7	पेंशनर कल्याण मण्डल	35
	5.8	पेंशन कल्याण कोष	35
	5.9	जिला पेंशनर फोरम	37
	5.10	परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	37
	5.11	सूचना के अधिकार अधिनियम–2005	38
6.		**संचालनालय,अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज**	39
	6.1	संरचना	39
	6.2	अधीनस्थ कार्यालय	40
	6.3	दायित्व	40
	6.4	अल्प बचत संग्रहण की वर्षवार उपलब्धियॉ	41
7.		**संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली**	42
	7.1	विभागीय संरचना	42
	7.2	विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण	42
	7.3	विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	42
	7.4	विभाग के दायित्व	45

8.		**मध्यप्रदेश वित्त निगम**	49
	8.1	सामान्य जानकारी	49
	8.2	मुख्य उददेश्य	49
	8.3	उपलब्धियॉ	50
	8.4	राज्य में पूंजी विनिवेश	51
	8.5	सुधार के प्रयास	52
	8.6	आय में वृद्धि	52
	8.7	निगम व्दारा उठाये गये हितैषी कदम	53
9.		**प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड**	54
	9.1	सामान्य जानकारी	54
	9.2	उददेश्य	54
	9.3	कम्पनी की वित्तीय स्थिाति	54
10.		**मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड**	55
	10.1	मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड	55
	10.2	जन–निजी भागीदारी के माध्यम से अधोसंरचना परियोजनाओं का कियान्वयन	55
11.		**विभागाध्यक्षों के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय**	59
	11.1	संचालनालय,कोष एवं लेखा	59
	11.2	संचालनालय,स्थानीय निधि संपरीक्षा	59
	11.3	संचालनालय,संस्थागत वित्त	59
	11.4	संचालनालय,पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश	59
	11.5	संचालनालय,अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज	59
	11.6	संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली	59
12.		**सामान्य प्रशासनिक विषय**	60–61
13.		**अभिनव योजना नवाचार**	62
	13.1(1)	राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एस.एफ.एम.एस.) का संधारण एवं संचालन	63
	13.1(2)	निर्माण विभागों हेतु नवीन आहरण प्रणाली	63
	13.1(3)	साईबर ट्रेजरी	63
	13.1(4)	पेंशनर डाटाबेस	64
	13.1(5)	नवीन पेंशन योजना की संरचना	64
	13.1(6)	केन्द्रीयकृत पेंशन प्रणाली	64
14.		**विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम/नियम/विधायी आदेश**	65–66
15.		**सारांश**	68–69

भाग एक
विभाग की संरचना एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों से संबंधित जानकारी

<u>अध्याय–1</u>

<u>वित्त विभाग की भूमिका तथा संरचना</u>

1.1 <u>विभागीय भूमिका</u> :–मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम तथा उन नियमों के अधीन जारी किए गए निर्देश/अनुदेश के अंतर्गत वित्त विभाग के कार्य को नियम ।। एवं 26 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। जिसका उद्धरण इस प्रकार है :–

।।. (एक), कोई भी विभाग,वित्त विभाग से पूर्व परामर्श किये बिना,ऐसे किन्ही भी आदेशों को (वित्त विभाग व्दारा किये गये किसी सामान्य प्रत्यायोजन के अनुसरण में दिये गये आदेशों को छोडकर) प्राधिकृत नहीं करेगा, जो या तो तत्काल या अपने प्रतिप्रभावों व्दारा राज्य की वित्त व्यवस्था को प्रभावित करते हो या जो, विशिष्ट रूप से या तो–

(क) पदों की संख्या या श्रेणी निर्धारण या संवर्गो से या पदों की उपलब्धियों या अन्य सेवा–शर्तो से संबंधित हो, या

(ख) जिनमें किसी भूमि का अनुदान या राजस्व का अभिहस्तांकन या खनिज या वन अधिकारों के संबंध में रियायत,मंजूरी,पटटा या अनुज्ञप्ति या जल,विघुत या किसी सुखाचार के संबंध में कोई अधिकार या ऐसी रियायत के संबंध में विशेषाधिकार अंतर्वलित हो, या

(ग) जिनमें किसी भी रूप में राजस्व का कोई त्याग अंतर्वलित हो,

(घ) सरकार व्दारा किसी गांरटी दिये जाने संबंधी हो।

(दो) किसी भी प्रस्ताव पर,जिस पर इस नियम के उप–नियम(एक) के अधीन वित्त विभाग से पूर्व परामर्श करना अपेक्षित हो, किन्तु जिस पर वित्त विभाग ने सहमति नहीं दी हो, तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, जब तक परिषद व्दारा उस प्रस्ताव का निर्णय न ले लिया गया हो।

(तीन) किसी भी पुर्नविनियोग वित्त विभाग से भिन्न किसी भी विभाग व्दारा ऐसे सामान्य प्रत्यायोजनों के अनुसार ही किया जायेगा, जो कि (प्रत्यायोजन) वित्त विभाग व्दारा किये गये हो, अन्यथा नहीं।

(चार) उस सीमा के सिवाय जिस सीमा तक कि वित्त विभाग व्दारा अनुमोदित किये गये नियमों के अधीन विभागों को कोई शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, किसी भी प्रशासकीय विभाग का प्रत्येक आदेश, जिसमें कि लेखा परीक्षा में प्रवर्वित की जाने वाली मंजूरी संप्रेषित की गई हो, लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को वित्त विभाग व्दारा संसूचित किया जाना चाहिए।

(पांच) इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि वह वित्त विभाग सहित किसी विभाग को विनियोग अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी एक अनुदान से ऐसे दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोजन करने के लिए प्राधिकृत करती हो।

26. वित्त विभाग विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों का प्रभारी रहेगा :—

(एक) वह,शासन व्दारा मंजूर किये गये ऋणों से संबंधित लेखे का प्रभारी होगा ओर ऐसे ऋणों से संबंधित समस्त संव्यवहारों के वित्तीय पहलुओं पर सलाह देगा।

(दो) वह,अकाल सहायता निधि की सुरक्षा तथा उसके समुचित उपयोग के लिए तथा भविष्य निधि के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(तीन) वह,करों,शुल्कों,उपकरों या फीस के अधिरोपरण,वृद्वि,कमी या समाप्ति के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा उन पर प्रतिवेदन देगा।

(चार) वह,राज्य व्दारा गारंटी लेने या देने के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगा तथा प्रतिवेदन देगा, ऐसे ऋण लेगा,जो सम्यक रूप से प्राधिकृत किये गये हो, और वह ऋणों के व्यय (सर्विस ऑफ दी लोन्स) या गारंटी उन्मोचन संबंधी समस्त मामलों का प्रभारी रहेगा।

(पांच) वह, यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि अन्य विभागों के मार्गदर्शन के लिए समुचित वित्तीय नियम बनाए जाते है, और यह कि अन्य विभागों तथा उनके अधीनस्थ सीपनाओं व्दारा उपयुक्त लेखे रखे जाते है।,

(छः) वह, प्रतिवर्ष राज्य की कुल प्राप्ति तथा संवितरण का अनुमान तैयार करेगा तथा वर्ष के दौरान शासन के शेषों की स्थिति पर नजर रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(सात) बजट तथा अनुपूरक अनुमानों के संबंध में,

(क) वह,प्रतिवर्ष विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण तैयार करेगा और विधान मण्डल के मत के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त अनुदानों के लिए कोई भी अनुपूरक अनुमानों या मांगों को तैयार करेगा,

(ख) इस प्रकार तैयार किए जाने के प्रयोजन के लिए वह संबंधित विभागों से ऐसी सामग्री,जिस पर उसके अनुमान आधारित होंगे, प्राप्त करेगा तथा वह इस प्रकार दी गई सामग्री पर बनाये गये अनुमानों की शुद्वता के लिए उत्तरदायी होगी।

(ग) वह, नये व्यय की समस्त योजनाओं के संबंध में, जिनके लिए अनुमानों में व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया हो, परीक्षण करेगा तथा परामर्श देगा और ऐसी किसी भी योजना के लिए, जिसका इस तरह परीक्षण नहीं किया गया हो, अनुमानों में व्यवस्था करने से इंकार करेगा।

(घ) वह, विधान मण्डल व्दारा किए गए अनुदानों की पूर्ति के लिए अपेक्षित,सभी रकमों का राज्य की संचित निधि से विनियोग तथा सदन के समक्ष यथा प्रस्तुत संचित निधि पर प्रभरित व्यय की व्यवस्था करने संबंधी विधेयक के पुनः स्थापन की कार्यवाही करेगा।

(आठ) वह, लेखा परीक्षा अधिकारी से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, कि पर्याप्त मंजूरी के अभाव में व्यय किया जा रहा है, संबंधित विभाग से मंजूरी प्राप्त करने के लिए या आगे व्यय नहीं करने के लिए अपेक्षा करेगा।

(नौ) वह, कार्यकारी पक्ष में विनियोग लेखाओं तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेगा तथा अन्य विभागों को आवश्यक निर्देश देगा।

(दस) वह, राजस्व के संग्रहण के लिए उत्तरदायी विभागों को संग्रहण की प्रगति तथा पद्वतियों के संबंध में सलाह देगा।

उक्त कार्यो के अतिरिक्त वित्त विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय परिशिष्ट–1 पर अवलोकनीय है।

1.2 <u>संरचनाः</u>–बजट कार्य के लिए विभाग में नौ बजट शाखाएं है। इन बजट शाखाओं के मध्य विभागवार बजट बनाने का कार्य आवंटित है। इसके अतिरिक्त एक प्रशासकीय शाखा,एक डेप्ट मैंनेजमेंट सेल,एक नियम शाखा एवं एक आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई है। प्रशासकीय (स्थापना) शाखा में वित्त विभाग के विभागाध्यक्षों के सीपना एवं प्रशासकीय कार्य संपादित किया जाता है। नियम शाखा में वित्त विभाग के नियमों/अधिनियमों से संबंधित विषयों को देखा जाता है और उनके संबंध में विभिन्न विभागों को आवश्यक मत /परामर्श दिया जाता है, तथा पेंशन कल्याण संबंधी कार्य देखा जाता है। डेप्ट मैंनेजमेंट सेल व्दारा महालेखाकार के प्रतिवेदन पर कार्यवाही की जाती है। आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई व्दारा वित्त आयोग की अनुशंसाओं से संबंधित कार्य सम्पादित किया जाता है।

1.3 <u>विभागाध्यक्ष :–</u>

<u>विभाग के अंतर्गत निम्न विभागाध्यक्ष कार्यरत है :–</u>

1. संचालनालय,कोष एवं लेखा :
2. संचालनालय,स्थानीय निधि संपरीक्षाः
3. संचालनालय,संस्थागत वित्तः
4. संचालनालय,पेंशन,भविष्य निधि एवं बीमा,मध्यप्रदेशः
5. संचालनालय,अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीजः
6. संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणालीः

1.4 <u>**निगम/मण्डल/कम्पनीः**</u>— विभाग के अंतर्गत निम्न निगम/मण्डल/कम्पनी कार्यरत है :—

1. मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम :
2. प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेडः
3. मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान बोर्ड :

अध्याय 2

संचालनालय, कोष एवं लेखा

2.1 सामान्य जानकारी

संचालनालय, कोष एवं लेखा, म0प्र0 की स्थापना 2 अप्रैल 1964 को हुई थी। आयुक्त, कोष एवं लेखा संचालनालय कोष एवं लेखा के विभागाध्यक्ष हैं। विभाग की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, पेशन एवं वेतन निर्धारण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं का प्रबंधन आदि शामिल है। वर्ष 1986 से पृथक विभागाध्यक्ष के रूप में संचालनालय पेंशन की स्थापना हुई है, जिससे पेंशन कार्य का पर्यवेक्षण इस संचालनालय से पृथक हो गया है।

2.2 अधीनस्थ कार्यालय

राज्य पुनर्गठन के पश्चात संचालनालय कोष एवं लेखा के अधीनस्थ संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय 07, लेखा प्रशिक्षण शालायें 07, कोषालय 53 तथा 160 उप कोषालय हैं।

2.3 अमला

संचालनालय, कोष एवं लेखा के अन्तर्गत कार्यालयों में स्वीकृत अधिकारियों कर्मचारियों के पदों की स्थिति निम्नानुसार तालिका 2.1 में दर्शायी गयी है :-

तालिका 2.1

स0क्र0	प्दनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	आयुक्त	भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य (सुपर टाइम स्केल)	01
2	संचालक,पेंशन	म0प्र0 वित्त सेवा	01
3	अपर संचालक	म0प्र0 वित्त सेवा	10
4	संयुक्त संचालक (प्रवर श्रेणी वेतनमान)	म0प्र0 वित्त सेवा	51
5	उप संचालक (वरिष्ठ वेतनमान)	म0प्र0वित्त सेवा	102
6	सहायक संचालक, कोषालय अधिकारी,	म0प्र0 वित्त सेवा	244

	अतिरिक्त कोषालय अधिकारी, प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला (कनिष्ठ वेतनमान)		
7	तथ्यांक प्रशासक	द्वितीय श्रेणी तकनीकी	09
8	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	55
9	शीध्र लेखक ग्रेड-1	द्वितीय श्रेणी	01
10	शीध्र लेखक ग्रेड-द्वितीय	तृतीय श्रेणी	02
11	शीघ्रलेखक ग्रेड-तृतीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	10
12	संचालनालय कोष एवं लेखा 14 सहायक कोषालय अधिकारी 117 उपकोषालय अधिकारी 58 लेखा प्रशिक्षण शाला व्याख्याता 07 सहा0आ0ले0प0अधिकारी 73 (कुल पद 269)	म0प्र0अधीनस्थ लेखा सेवा तृतीय श्रेणी	269
13	शीध्र लेखक ग्रेड-2 एवं 3	तृतीय श्रेणी	11
14	173 लेखा सहायक 603 उच्च श्रेणी लिपिक 748 कोष लेखा लिपिक 04 अधीक्षक 12 वाहन चालक (कुल पद 1551)	तृतीय श्रेणी	1551
15	41 दफतरी,405 भृत्य,07 चौकीदार 01 सुपरवाईजर,01 जमादार,01 स्वीपर (कुल पद 456)	चतुर्थ श्रेणी	456

2.4 <u>मुख्य दायित्व</u>

(i) **कोष प्रचालन**:- राज्य के 53 जिला कोषालय तथा 160 उप कोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय, कोष एवं लेखा के अन्तर्गत है। नवीन कोषालयों की स्थापना तथा म0प्र0 कोष संहिता के अनुसार कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय, कोष एवं लेखा का है।

(ii) **<u>कोष निरीक्षण</u>** :- प्रदेश के सभी कोषालयों तथा उप कोषालयों का म0प्र0 कोषालयों संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण का दायित्व संचालनालय, कोष एवं लेखा का है।

(iii) **<u>पेंशन एवं वेतन निर्धारण</u>**:- राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व भी संचालनालय कोष एवं लेखा के अधीन है।

(iv) **<u>आंतरिक लेखा परीक्षण</u>** :- प्रदेश के शासकीय कार्यालयों का लेखा परीक्षण महालेखाकार म0प्र0 द्वारा किया जाता है। किन्तु कार्यालय के आतरिक लेखा परीक्षण के लिये संचालनालय कोष एवं लेखा में एक आडिट शाखा स्थापित है। भोपाल स्थित एवं भोपाल के बाहर विभागाध्यक्ष कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण संचालनालय द्वारा किया जाता है। तथा अन्य जिला कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है।

(v) **<u>संवर्ग प्रबंधन</u>** :- म0प्र0 वित्त सेवा तथा अधीनस्थ लेखा सेवा का संवर्ग प्रबंधन संचालनालय द्वारा किया जाता है । प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर तथा सहा0 ग्रेड-1(कोषालयीन लिपिक सेवा) की सेवायें, राज्य स्तरीय सेवायें है, जिनका संवर्ग प्रबंधन भी संचालनालय द्वारा किया जाता है ।

(vi) **<u>निर्माण विभागों हेतु नवीन आहरण प्रणाली</u>** :- निर्माण विभाग को जारी किये जाने वाले साख पत्र के स्थान पर 1 अप्रैल, 2007 से नवीन आहरण प्रणाली (WDDF) प्रारंभ की गई जिसके तहत सभी आहरण अधिकारियों को ऑन लाइन चैक जनरेशन अपने ही कार्यालय में करने की सुविधा है। कोषालय सर्वर से निर्माण विभागों के आहरण अधिकारियों को डायलअप कनेक्टिविटी से जोड़ा गया था जिसके स्थान पर अब नवीन व्ही.पी.एन.ओ.बी.बी. सुविधा की स्वीकृति दी जा चुकी है जिससे कनेक्टिविटी अधिक सुगम और तीव्र हो गई है। संपूर्ण देश में इस प्रकार की सुविधा पहली बार उपयोग में लाई जा रही है ।

(vii) **<u>लेखा</u>** :- कोषालयों द्वारा मासिक लेखे तैयार कर महालेखाकार म0प्र0 को प्रेषित किये जाते है समय सीमा में लेखाओं के प्रेषण का पर्यवेक्षण भी संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

(viii) **लेखा प्रशिक्षण** :- राज्य के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को लेखाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए 07 लेखा प्रशिक्षण शालायें स्थापित हैं । लेखा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत संबंधित कर्मचारियों की परीक्षा ली जाती है एवं परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उनको प्रमाणीकरण किया जाता है । इस प्रकार राज्य के तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वहन भी संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा किया जाता है।

(ix) **विभागीय प्रशिक्षण** :- संचालनालय कोष एवं लेखा के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन नीतियों एवं गतिविधियों से परिचित कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका प्रबंधन संचालनालय कोष एवं लेखा के प्रशिक्षण शाखा द्वारा किया जाता है।

2.5 उपलब्धियां :-

(i) **पेंशन व वेतन निर्धारण** :- वर्ष 2004-2005 से 31-3-2008 एंव वित्तीय वर्ष 2008-09 में माह दिसम्बर, 2008 तक निराकृत पेंशन एवं वेतन निर्धारण प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार तालिका 2.2 में दी गई है :-

तालिका 2.2

वर्ष	पेंशन प्रकरण	वेतन निर्धारण प्रकरण
2004-2005	13012	44456
2005-2006	16509	16258
2006-2007	15767	12945
2007-2008	12610	9493
2008-2009 (दिसम्बर,2008 तक)	4382	7642

(ii) **एकीकृत कोषालीयन कम्प्यूटराईजेशन परियोजना का कियान्वयन** :- राज्य के वित्तीय प्रबंधन में व्यापक सुधार के उद्‌देश्य से रूपये 28.02 करोड़ की लागत से एक वृहद कोषालय कम्प्युटराईजेशन परियोजना लागू की गई है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी कोषालयों, उप कोषालयों, संयुक्त संचालक कार्यालयों एवं लेखा प्रशिक्षण शालाओं को कम्प्यूटरीकृत करके व्ही-सेट के माध्यम से राज्य शासन के वित्त विभाग एवं संचालनालय कोष एवं लेखा से जोड़ा गया है। इसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 2004 से समस्त कोषालयों/उप कोषालयों में कोष एवं लेखा से संबंधित समस्त प्रकियाओं का संपादन नवीन साफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जा

रहा है। परियोजना को 10th National conference of e-governance अंतर्गत Gold Icon National award for e-governance प्राप्त हुआ है।

<u>परियोजना के कियान्वयन से निम्न कार्य सुचारू रूप से संचालित किये जा सके हैं</u>:-

(अ) <u>प्रभावी वित्तीय नियंत्रण</u>:- वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को जारी बजट तथा विभागों द्वारा आहरण अधिकारियों को जारी बजट सेंट्रल सर्वर के माध्यम से कोषालयों को प्रेषित किये जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप बजट आवंटन की सीमा तक ही व्यय हो पाता है जिससे प्रभावी वित्तीय नियंत्रण हो सका है। वित्त विभाग द्वारा बजट में की गई कटौती तथा भुगतानों पर लगाये जाने वाले प्रतिबंध को लागू कराने की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

(ब) <u>सुदृढ़ कोषालयीन प्रणाली</u> :- कोषालय में प्रस्तुत समस्त आहरणों का परीक्षण, लेखा संधारण, पेंशन-प्राधिकारों का निर्गमन, स्टाम्प संधारण, व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण इत्यादि कार्य नवीन साफटवेयर के माध्यम से कोषालय के कम्प्यूटर पर संधारित डाटाबेस से पुष्टि कर किया जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने से कोषालयीन प्रणाली में पारदर्शिता उत्तरदायित्व तथा तत्परता सुनिश्चित की जा सकी है।

(स) <u>सूचना प्रबंधन प्रणाली</u> :- राज्य की आय एवं व्यय का अद्यतन वर्गीकृत जानकारी वेबसाईट www.mptreasury.org व mptreasury.gov.in पर उपलब्ध है, जिसके आधार पर विभिन्न नीतिगत निर्णय लिये जा सकते हैं।

(द) <u>शासकीय कर्मचारियों का डाटाबेस</u> :- प्रदेश के समस्त 5.05 लाख कर्मचारियों के इम्प्लाई, पे-रिकार्ड तथा पोस्ट डाटाबेस संधारित किये गये हैं तथा लगभग 4 लाख से अधिक कर्मचारियों के वेतन देयक कोषालय में कम्प्यूटर से जनरेट किए जा रहे हैं।

(ई) <u>परियोजना अन्तर्गत विकसित की गई वेबसाइट</u>:- www.mptreasury.org व mptreasury.gov.in पर विभागीय संरचना, वित्त एवं लेखा प्रकिया से संबंधित अघतन नियम, निर्देशों की जानकारी के साथ आय एवं व्यय की वर्गीकृत जानकारी बजट आवंटन की

अद्यतन स्थिति, जमा कराये गये चालानों का विवरण सूचना के अधिकार का ब्योरा इत्यादि संधारित है।

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालयों द्वारा कम्प्युटरीकृत व्यवस्था अंतर्गत वेतन निर्धारण प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है।

(एफ) <u>साईबर ट्रेजरी</u> :- www.mptreasury.org व mptreasury.gov.in पर उपलब्ध साइबर ट्रेजरी की सुविधा का उपयोग कर कोई भी करदाता ऑनलाइन शासकीय कर जमा कर सकता है। अब इस हेतु नवीन बेवसाइट cybertreasury.gov.in विकसित की गई है। जिससे सीधे cyber treasury की सुविधा का उपयोग कर कोई भी करदाता ऑनलाइन शासकीय कर जमा कर सकता है। यह सुविधा वाणिज्यकर विभाग हेतु उपलब्ध है व इस वर्ष से व परिवहन विभाग हेतु भी उपलब्ध कराई गई है तथा अन्य विभागों हेतु यह सुविधा विकसित की जा रही है। करदाता के लिये cyber treasury सुविधा के उपयोग करने के संबंध में common e- chalan हेतु भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

साइबर ट्रेजरी की उपयोगिता को घ्यान में रखते हुए संचालनालय कोष एवं लेखा विभाग के तकनीकी स्टाफ द्वारा Inhouse स्वयं एक पृथक Website विकसित की गई जिसका domain name cyber treasury gov.in है। इस बेवसाइट के माघ्यम से User सीधे cyber treasury functionality access कर सकेगा।

(iii) <u>कोष निरीक्षण एवं आंतरिक अंकेक्षण</u> :- गत तीन वर्षो में संचालनालय, कोष एवं लेखा अंतर्गत आने वाले कोषालयों/उप कोषालयों में किये गये कुल निरीक्षण, तथा विभिन्न विभागों के आंतरिक अंकेक्षण तथा वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित विशेष अंकेक्षण की स्थिति तालिका 2.3 में दर्शायी है।

तालिका 2.3

वर्ष	निरीक्षण	अंकेक्षण	विशेष अंकेक्षण
2004-2005	**23**	**12**	**02**
2005-2006	**24**	**09**	**--**
2006-2007-	**179**	**77**	**06**
2007-2008	**110**	**52**	**07**

2008-2009 (दिसम्बर,2008 तक)	**172**	**77**	**28**

विशेष निरीक्षण एवं पाईकू

वर्ष	विशेष निरीक्षण	पाईकू
2007-08	03	48
2008-09	-	36

(iv) **लेखा प्रशिक्षण शाला** :- लेखा प्रशिक्षण शाला की परीक्षायें वर्ष में 3 बार आयोजित की जाती है । आयोजित परिक्षाओं में वर्ष 2004-2005, 2006-2007 एवं 2008-2009 में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या तालिका 2.4 में दर्शायी गई है -

तालिका 2.4

वर्ष	सम्मिलत परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परिक्षार्थियों की संख्या
2004-2005	430	199
2005-2006	422	182
2006-2007	636	147
2007-2008	181	43
2008-2009 (जून 08 तक)	249	99

नोट :- माह अक्टूबर, 2008 में उक्त परीक्षा में 260 कर्मचारी सम्मिलित हुए तथा परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया जारी है ।

2. माह 02/2009 में ए0टी0एस0 की परीक्षा आयोजित की जा रही है ।

म0प्र0 वित्त सेवा एवं म0प्र0अधीनस्थ लेखा सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये भाग-2 की परीक्षाओं की स्थिति :-

वर्ष (सत्र)	परीक्षा का नाम	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उर्त्तीण परीक्षार्थियों की संख्या
2008-09	म0प्र0वित्त सेवा भाग-2	33	32
2008-09	म0प्र0अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-2	20	18
2008-09 (मई2008 में)	म0प्र0अधीनस्थ लेखा सेवा (विभागीय) परीक्षा भाग-1	1574	712

प्रशिक्षण :- म0प्र0 प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित विभागीय प्रशिक्षणों के अन्तर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षो 2006-2007 एवं 2007-08 में क्रमशः 166, 353 एवं वर्ष 2008-2009 में माह अक्टूबर 2008 तक 200 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान फरीदाबाद में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों

में 04 अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। फरीदाबाद की ही उक्त संस्थान में दो वर्षीय PGDBA (FM) पाठ्यक्रम हेतु म0प्र0 वित्त सेवा के दो अधिकारियों को नामांकित किया गया है। इसके साथ ही पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संस्थान भोपाल में कुल 03 अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण लिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2008-09 विधानसभा चुनाव होने के कारण प्रशिक्षण स्थगित होने से कम हुये।

(vi) **संवर्ग प्रबंधन** : - संचालनालय,कोष एवं लेखा के अन्तर्गत स्वीकृत पदों की स्थिति 2.1 तालिका में दी गई है। विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की क्रमोन्नति तथा पदोन्नति की कार्यवाही की गई है, तथा पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति/क्रमोन्नति का लाभ दिया गया है।

(vii) **कोषालयीन लेखों का संधारण** :- कोषालयों द्वारा महालेखाकार को लेखा प्रथम तथा द्वितीय अनुसूची के रूप में क्रमशः माह की 13 एवं 5 तारीख को भेजे जाते हैं। प्रदेश के सभी कोषालयों द्वारा लेखे भेजे जा रहे हैं। यहां उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल, 2004 से सभी कोषालयों द्वारा कम्प्यूटर जनरेटेड लेखे (फ्लापी सहित) महालेखाकार को भेजे जा रहे हैं।

(viii) **सूचना का अधिकार** :- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत संचालनालय कोष एवं लेखा के कार्य को जनता के प्रति जवाबदेय, उत्तरदायी एवं पारदर्शी प्रशासन बनाये रखने के लिये अधिनियम के प्रावधानानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। जिला स्तर एवं संभाग स्तर के कार्यालयों में भी लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्तियां की जा चुकी है। शिकायतों के निराकरण तथा उस पर समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम के प्रावधानानुसार अपीलीय अधिकारियों की भी नियुक्तियां की जा चुकी हैं।

संचालनालय कोष एवं लेखा की सूचना का अधिकार से संबंधित समस्त जानकारियां संचालनालय की बेवसाइट- www.mptreasury.org पर उपलब्ध कराई गई हैं।

(ix) **<u>महिला नीति</u>** :-

म0प्र0 की महिला नीति के बिन्दु क्रमांक 227 के अनुसार महिला नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु श्रीमती आस्था शर्मा, सहायक संचालक, को विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है।

<u>अध्याय–3</u>

<u>संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म0प्र0 ग्वालियर</u>

3.1 <u>सामान्य जानकारीः–</u>

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा की स्थापना दिसम्बर 1955 में हुई तथा महालेखाकार कार्यालय द्वारा संपादित कार्य इस संचालनालय को स्थानांतरित हुये। नगर पालिकाओं तथा पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित अधिनियमों को ध्यान में रखते हुये वर्ष 1973 में म0प्र0 स्थानीय निधि संपरीक्षाा, अधिनियम 1973 तथा वर्ष 1974 में म0प्र0 स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम 1974 लागू किये गये तथा संपरीक्षा प्रणाली को वैधानिक स्तर दिया गया इसके अन्तर्गत साविधिक संपरीक्षा कार्य सम्पन्न किया जाता है ।

ऐसी संस्थाएं जिनकी संपरीक्षा इस विभाग द्वारा की जाती है की जानकारी परिशिष्ट–एक पर अंकित है। 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन में नगरीय निकायों, पंचायतों के लेखा संपरीक्षा कार्य सम्पन्न करना है जिसकी कार्यवाही गतिशील है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस विभाग द्वारा 1076 से अधिक स्थानीय निकायों की पश्चातवर्ती संपरीक्षा संपादित की गई तथा 106 निकायों में निरन्तर आवासीय संपरीक्षा सम्पन्न हो रही है। संपरीक्षा प्रतिवेदेनों के माध्यम से वित्तीय अनियमितताओं के साथ–साथ महत्वपूर्ण गंभीर प्रकृति की आपत्तियों का उल्लेख करते हुये तत्संबंध में राज्य शासन एवं स्थानीय निकायों के संबंधित उच्चाधिकारियों का ध्यान निराकरण हेतु आकर्षित किया गया तथा संयुक्त विचार विमर्श उपरांत विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु अथक प्रयास किये गये। म0प्र0 शासन वित्त विभाग द्वारा विभिन्न स्थानीय निकायों की लंबित अंकेक्षण आपत्ति के निराकरण के लिये संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया जिसके माध्यम से आपत्तियों का निराकरण एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

3.2 <u>स्वीकृत अमले की स्थिति :–</u>

विभाग के अन्तर्गत 07 क्षेत्रीय उप संचालक कार्यालय (ग्वालियर,भोपाल,इंदौर, जबलपुर,रीवा,सागर,उज्जैन) तथा दो पंचायत उप संचालक इन्दौर एवं भोपाल में कार्यरत है।

विभाग में 03 संयुक्त संचालक एवं 19 उप संचालकों तथा 82 सहायक संचालकों के पद स्वीकृत है। स्वीकृत तथा कार्यरत पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	संवर्ग	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5
1	आयुक्त सह संचालक	01	01	––
2	संयुक्त संचालक	03	03	––
3	उप संचालक	19	12	07
4	सहायक संचालक	82	39	43
5	ज्येष्ठ संपरीक्षक	287	188	99
6	सहायक संपरीक्षक	542	483	59
7	कार्यालय अधीक्षक	01	01	––
8	मुख्य लिपिक	07	05	02
9	शीध्रलेखक	02	02	––
10	रोकड़िया	01	01	––
11	सहायक ग्रेड–दो	36	33	03
12	सहायक ग्रेड–तीन	92	92	––
13	आशुलिपिक	04	04	––
14	गणक	01	01	––
15	सुपरवाईजर	01	01	––
16	दफ्तरी	01	––	01
17	भृत्य सह फर्राश जिलाध्यक्ष दर पर	97 ––	90	07
18	प्रोसेस सर्वर	04	03	01
19	फर्राश	01	01	––
20	वाहन चालक (नियमित वेतनमान)	02	02	––
21	चौकीदारनैमेत्तिक मद (नियमित वेतनमान)	01	01	––
22	चौकीदार (जिलाध्यक्ष दर)	03	03	––
योग		**1188**	**966**	**222**

3.3 <u>पदोन्नति</u> :–

विभाग के विभिन्न संवर्गो में रिक्त पदों पर एवं इस विभाग के लिये शासन द्वारा विभिन्न संवर्ग में 355 पद स्वीकृत किये गये है जिन पर पदोन्नति एवं भरती की प्रक्रिया गतिशील है ।

3.4 विभागीय जांच :–

विभिन्न शिकायत एवं अनियमितताओं के कारण 58 प्रकरणों में विभागीय जांच की प्रकिया गतिशील है ।

3.5 नियुक्तियां :–

रिक्त पदों एवं स्वीकृत नवीन पदों पर नियुक्तियों की कार्यवाही गतिशील है। 36 ज्येष्ठ संपरीक्षक पदों की सीधी भरती व्यापम से हो जाने के पश्चात् 20 अभ्यार्थी उपस्थित हो चुके है शेष अभ्यार्थी हेतु प्रक्रिया जारी है।

3.6 स्थानांतरण:–

म0प्र0 शासन द्वारा घोषित स्थानांतरण नीति के अनुरूप अति सीमित संख्या में स्थानांतरण किये गये ।

3.7 न्यायालयीन प्रकरण :–

इस विभाग में वर्ष 2008–09 में विभिन्न स्तरीय न्यायालयों में कुल 82 प्रकरण प्रचालित है ।

3.8 संपरीक्षा शुल्क :–

विभाग द्वारा स्थानीय निकायों की संपरीक्षा किये जाने पर शासन द्वारा निर्धारित दर से संपरीक्षा शुल्क अधिरोपित की जाती है जो राज्य शासन के राजस्व का एक अंग है । दिनांक 31.12.08 संपरीक्षा शुल्क जमा एवं अवशेष की स्थिति इस प्रकार है :–

क्र.	विवरण	राशि
1	2	3
1	31.03.2008 को पूर्व अवशेष	74,23,07,941
2	वर्ष2008–09 की मांग	38,85,13,390
3	कुल मांग	1,13,08,21,331
4	वसूली	14,63,71,147
5	अवशेष राशि (31.12.08)	98,44,50,184

3.9 प्रशिक्षण एवं परीक्षायें :–

विभाग के अधिकारियों एंव कर्मचारियों को समय–समय पर म0प्र0 आर0व्ही0पी0 नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी भोपाल मे विभिन्न प्रशासनिक एवं वित्तीय विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षण कराये गये है तथा विभागीय तौर पर परामर्शदात्री समिति एवं विभागीय आयोजनों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों को समय–समय पर सुझाव एवं जानकारियां दी जाती है ।

3.10 संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूपण एवं प्रसारण के संबंध में :–

विभाग में पश्चातवर्ती एवं आवासीय संपरीक्षा के अंकेक्षण दलों द्वारा स्थानीय निकायों का अंकेक्षण संपादित कर अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रारूपित कर क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते है, जिनका क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से अनुमोदन कर प्रसारण की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन के प्रसारण प्रतिवेदनों की जानकारी निम्नानुसार है :–

पूर्व वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन	वर्ष में प्राप्त	कुल	प्रसारित प्रतिवेदन	अवशेष
191	813	1004	903	101

3.11 संपरीक्षा कार्य :–

विभाग में संपरीक्षाधीन बडी–बडी स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिक निगम, विश्वविद्यालयों बृहद आय–व्यय वाली नगर पालिकायें, विकास प्राधिकरण, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पाठय पुस्तक निगम एवं ''अ'' वर्ग की कृषि उपज मण्डी समितियां इस प्रकार कुल 106 इकाईयों में आवासीय संपरीक्षा प्रणाली लागू है। इस प्रणाली का पर्यवेक्षण सहायक संचालकों एवं निरीक्षण क्षेत्रीय उप संचालकों द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा गठित दलों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है । उप संचालकों द्वारा इस वर्ष में 147 निकायों का निरीक्षण किया गया। शेष स्थानीय निकायों की पश्चातवर्ती संपरीक्षा सम्पन्न की जाती है। आवासीय संपरीक्षा में 32 सहायक संचालक 87 ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं 161सहायक संपरीक्षक कार्यरत है तथा पश्चातवर्ती संपरीक्षा में 65 ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं 291 सहायक संपरीक्षक कार्यरत है। **32** सहायक संचालकों से आवासीय संपरीक्षा पर्यवेक्षण के साथ ही साथ स्थानीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों की पश्चातवर्ती संपरीक्षा का पर्यवेक्षण कार्य भी सम्पन्न कराया जाता है।

उक्त वर्णित दोनों संपरीक्षा प्रणाली के माध्यम से निम्नांकित कई प्रकार की गंभीर अनियमिततायें दृष्टिगत हुई है जिनकी राशि रू. 18,93,67,56,155–00 निहित है प्रकाश में आयी है। विवरण इस प्रकार है।

क्र.	आपत्ति का प्रकार	राशि
1	2	3
1	प्रभक्षण	1,21,29,409
2	दोहरा भुगतान	11,98,041
3	अनियमित भुगतान	42,87,47,656
4	संदिग्ध व्यय	12,67,93,534
5	आर्थिक क्षति	64,54,81,468
6	निर्माण कार्य	14,51,59,858
7	अपेक्षित वसूली	13,06,44,48,485
8	अन्य अनियमिततायें	4,45,58,21,456
9	अधिक भुगतान	5,69,76,248
	महायोग	18,93,67,56,155

अंकेक्षण के दौरान वसूली रू. **2,27,44,113—00**
आवासीय अंकेक्षण के दौरान काटी गई राशि रू. **2,54,94,739—00**

इस विभाग के अधीन संचालित संपरीक्षा प्रणालियों के माध्यम से शासन/निकायों को अप्रत्यक्ष रूप से राशि रूपये **2,27,44,113—00** एवं रूपये **2,54,94,739—00** कुल राशि **4,82,38,852—00** की क्षति से बचाया गया है ।

म0प्र0 शासन,वित्त विभाग के आदेश क्रमांक/एफ—1/33/2001/ई/चार, दिनांक 12.01.2007 द्वारा विभाग को अप्रैल 2008 से ग्राम पंचायतों का संपरीक्षा कार्य सौंपा गया है। माह अप्रेल 2008 से दिसम्बर 2008 तक ग्राम पंचायतों का निम्नानुसार अंकेक्षण संपादित हो चुका है।

कुल ग्राम पंचायत	संपादित अंकेक्षण कार्य	शेष अंकेक्षण कार्य
23051	8836	14215

3.12 <u>अधिभार :—</u>

म0प्र0 स्थानीय निधि संपरीक्षा, अधिनियम—1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी आर्थिक हानियों के प्रकरण जो किसी अधिकारी/कर्मचारी की घोर उपेक्षा एवं कदाचरण अथवा तत्परता से पालन न करने या कर्तव्यों की उदासीनता /लापरवाही, बरतने के कारण अथवा अवैधानिक व्यय के कारण हुई हो ऐसे प्रकरणों में अधिनियम की धारा—11 के प्रावधानों के अनुरूप अधिभार भारित किया जाकर वसूली की कार्यवाही अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया से की जाती है। अधिभार प्रकरणों की जानकारियां निम्नानुसार है :—

क्र.	आरोप पत्रों की संख्या	सन्निहित राशि	वसूल की गई राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1	116	70,25,010	21,651	70,03,359

3.13 अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण के संबंध में :–

विभाग द्वारा संपादित वैधानिक संपरीक्षा के माध्यम से पश्चातवर्ती एवं आवासीय संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में लाये गये आक्षेपों का निराकरण स्थानीय निकायों के पालन प्रतिवेदन के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा निराकृत आक्षेपों की स्थिति इस प्रकार हैः–

क्र.	विवरण	संख्या
1	2	3
1	दिनांक 01.04.08 को अवशेष आक्षेपों की संख्या	4,07,852
2	वर्ष 2008–09 में प्रकाश में आये आक्षेपों की संख्या	22,706
3	कुल आक्षेपों की संख्या	4,30,558
4	वर्ष में निराकृत आक्षेपों की संख्या	20,716
5	अवशेष आक्षेपों की संख्या(31.12.08)	4,09,842

3.14 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के कियान्वयन :–

दिनांक 20.09.2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–19 के प्रावधान के अनुसार इस विभाग के आयुक्त सह संचालक को बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा म0प्र0 हेतु अपीलीय अधिकारी नामांकित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा–5 के प्रावधानानुसार संचालनालय के संयुक्त संचालक को लोक सूचना अधिकारी एवं उप संचालक(मुख्या0) को सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा इस विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के उप संचालकों को लोक सूचना अधिकारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत पदस्थ सहायक संचालक प्रशासन को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया गया।

तदनुसार इस विभाग द्वारा लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है । सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को भली–भांति अनुसरण हेतु इस विभाग के लोक सूचना अधिकारी एवं

सहायक लोक सूचना अधिकारियों को प्रशासन अकादमी भोपाल में प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है । संचालनालय में इस वर्ष 27 प्रकरण प्राप्त हुये है, जिनका यथासमय निराकरण किया जा रहा है ।

3.15 <u>राज्य की महिला नीति एवं कार्य योजना :–</u>

राज्य की महिला नीति की सत्त समीक्षा हेतु उप संचालक(मुख्या0) को जिम्मेदारी सौंपी गई है, विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलॉग पदों की भरती में शासनादेशानुसार 30% महिलाओं की नियुक्तियां की गई है। विभाग में महिलाओं को प्रायःसभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है तथा लिंग के आधार पर विभेद नहीं करते हुये पुरूषों के समान शासकीय कार्यार्थ अवसर प्रदान किये गये है।

3.16 <u>बीमा अनुभाग परिचयः–</u>

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ–13/ 27/ 2002/ई/चार, दिनांक 30.12.2002 द्वारा पूर्ववर्ती जीवन बीमा विभाग का कार्य संचालनालय बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा को हस्तांतरित किया गया।

3.17 <u>बीमा विभाग द्वारा संचालित बीमा योजनाएं :–</u>

पूर्व जीवन बीमा विभाग द्वारा निम्न बीमा योजनाओं का संचालन किया जाता था

(1) मध्य भारत जीवन बीमा योजना

(2) परिवार कल्याण निधि योजना–1974

(3) समूह बीमा योजना –1985

(4) शासकीय वाहन चालक दुर्घटना बीमा योजना–1993

राज्य शासन द्वारा अपने शासकीय सेवकों के लिय दिनांक 01.07.2003 से मध्य प्रदेश शासकीय सेवक बीमा सह बचत योजना–2003 प्रारम्भ की गयी तथा पूर्व की अनुक्रमांक 1 से 3 तक की योजनाऐं दिनांक 01.07.2004 से पूर्णतः बंद कर दी गयी है। अब इन योजनाओं के अन्तर्गत कोई कटौत्रे नहीं हो रहे है, इन योजनाओं के सदस्य रहे सेवकों की मृत्यु/सेवा निवृत्ति पर योजनाओं के अन्तर्गत जमा राशियों का ब्याज सहित भुगतान किया जा रहा है ।

3.18 बीमा योजनाओं के संचालन में विभाग की भूमिका :–

बीमा योजनाओं की सम्पूर्ण कार्यवाही (योजनान्तर्गत सदस्यता, कटौत्रा एवं भुगतान) संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाती है तथा इससे संबंधित अभिलेख भी उन्हीं के द्वारा संधारित एवं संरक्षित किये जाते है। इन योजनाओं से संबंधित समस्या के निराकरण हेतु वांछित मार्गदर्शन दिया जाता है तथा बीमा योजनाओं की समीक्षा की जाती है इस प्रकार बीमा योजनाओं के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय का है।

3.19 पूर्व बीमा योजनाओं के अन्तर्गत किये गये भुगतान :–

अर्थ वर्ष 2007–08 में पूर्व बीमा योजनाओं के अन्तर्गत किये गये भुगतानों की स्थिति निम्नानुार है :–

क्र.	योजना का नाम	भुगतान राशि
1	2	3
(1)	मध्य भारत जीवन बीमा योजना	निरंक
(2)	परिवार कल्याण निधि योजना–1974	26,54,89,699
(3)	समूह बीमा योजना –1985	53,81,05,672

3.20 बीमा सह बचत योजना–2003 के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं भुगतानों की स्थिति :–

कार्यालय महालेखाकार ग्वालियर से संकलित जानकारी अनुसार बीमा सह बचत योजना 2003 के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 की प्राप्तियों एवं भुगतानो की स्थिति निम्नानुसार पायी गई :–

क्र.	मद	बीमा निधि	बचत निधि	योग
1	2	3	4	5
1	प्राप्तियां	43,08,99,661	80,02,42,229	1,23,11,41,890
2	भुगतान	25,72,74,993	47,77,96,418	73,50,71,411

3.21 <u>विभिन्न बीमा योजनाओं के अन्तर्गत जमा राशियों की स्थिति :–</u>

विभिन्न बीमा योजनाओं के अन्तर्गत देय राशियों के भुगतानोपरांत दिनांक 31.03.08 की स्थिति में निम्नानुसार राशियां जमा पायी गयी :–

क्र.	बीमा योजना का नाम	जमा राशि
1	2	3
1	मध्य भारत जीवन बीमा योजना	14,21,55,708
2	परिवार कल्याण निधि योजना–1974	1,58,46,15,477
3	समूह बीमा योजना–1985	
	(अ) बीमा निधि	3,25,61,70,774
	(ब) बचत निधि	7,62,08,40,002
4	बीमा सह बचत योजना–2003	
	(अ) बीमा निधि	1,05,00,82,236
	(ब) बचत निधि	2,15,69,13,370

परिशिष्ट – एक

संस्थाओं का विवरण जिनका आडिट बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा किया जाता है :–

क्रमांक	निकाय का नाम	ईकाईयों की संख्या
1.	जिला पंचायत	48
2.	जनपद पंचायत	313
3.	ग्राम पंचायत	23051
4.	नगर पालिका निगम	14
5.	नगर पालिका	86
6.	नगर पंचायत	237
7.	जिला शहरी विकास अभिकरण	45
8.	विकास प्राधिकरण	06
9.	कृ.उ.म. समिति	235
10.	पशु कल्याण समिति	36
11.	रोगी कल्याण समिति	360
12.	माध्यमिक शिक्षा मण्डल	01
13.	पाठ्य पुस्तक निगम	01
14.	विश्वविद्यालय	12
15.	तकनीकी संस्थाऐं	04
16.	महाविद्यालय / हाईस्कूल / प्राथमिक विद्यालय	551
17.	विधिक सहायता बोर्ड	46
18.	मुख्य मंत्री सहायता कोष	46
19.	कृषि विपणन बोर्ड एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालय	08
20.	गन्ना विकास परिषद	06
21.	सांस्कृतिक अकादमी परिषद बोर्ड, विविध संस्थायें	155
22.	ब्रिस्क खाते	36
23.	ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण	01
24.	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	02
	योग :	**25300**

अध्याय–4

संस्थागत वित्त संचालनालय

4.1 सामान्य जानकारीः–

संस्थागत वित्त संचालनालय का गठन नवम्बर 1977 में सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन एक कक्ष के रूप में किया गया था। दिसम्बर 1979 में संस्थागत वित्त संचालनालय को वित्त विभाग के अधीन किया गया। मई 1980 में संचालक, संस्थागत वित्त संचालनालय को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया। संचालनालय के मुख्य दायित्व निम्नांकित हैं :–

1. कृषि, उद्योग, शिक्षा, रोजगार, सामुदायिक विकास आदि से संबंधित शासन प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत वित्त मामलों में विभिन्न संस्थाओं(SLBC/DLCC/BLBC/Banks/FinancialInstitutions/ RBI/NABARD/SIDBI/NHB) के साथ समन्वय।
2. वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य सम्पादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण कर प्रदेश में बैंकिंग कार्यकलापों का अपेक्षित विस्तार करना।
3. अग्रणी बैंक योजना, जिला ऋण योजना, राज्य साख योजना से संबंधित कार्य, राज्य और जिला स्तर पर समन्वय समितियों से जुड़े कार्य।
4. बैंकों की क्षेत्रीय सलाहकार समिति से संबंधित कार्य।
5. सामान्य बैंकिंग से संबंधित प्रकरणों का निराकरण।
6. वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण से संबंधित आंकड़ों का प्रसंस्करण।

संस्थागत वित्त संचालनालय द्वारा समाज के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लाभ हेतु भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं अन्य वित्त पोषण करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन में सामान्य सम्पर्क एवं मध्यस्थ के कार्य

का निर्वाह करते हुए प्रदेश में पर्याप्त संस्थागत वित्त सुलभ कराना है। इस संचालनालय का सीधा सम्पर्क मुख्यतः वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है।

4.2 अधीनस्थ कार्यालय व अमलाः–

संचालनालय को सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन तथा समन्वयक के कार्यों के दृष्टिगत सिर्फ राज्य स्तरीय अमला स्वीकृत है। संचालनालय में कोई क्षेत्रीय अथवा मैदानी अमला स्वीकृत नहीं है। संचालनालय के लिये स्वीकृत पदों का विवरण निम्न तालिका में है।

पदों की श्रेणी	स्वीकृत पदों की संख्या
प्रथम श्रेणी	4
द्वितीय श्रेणी	1
तृतीय श्रेणी	20
चतुर्थ श्रेणी	8

संचालनालय की स्थापना में इस प्रकार मुख्यालय स्तर पर कुल 33 पद स्वीकृत हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक वेतन भोगी के 3 पद भी स्वीकृत हैं। स्वीकृत पदों में से प्रथम श्रेणी के समस्त तथा तृतीय श्रेणी के कुछ (सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं कनिष्ठ लेखा अधिकारी) पदों पर अन्य विभागों, संस्थाओं से अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए भरे जाते हैं। शेष समस्त पद संचालनालयीन सेवा भर्ती नियम अन्तर्गत स्थापना के हैं। परियोजना प्रबंध इकाई अन्तर्गत स्वीकृत अमले को भी स्थापना में ही समायोजित किया गया है।

वित्त विभाग के अधीन आर्थिक नीति विश्लेषण इकाई के लिये आर्थिक सलाहकार के स्वीकृत पद पर भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किए जाते हैं।

4.3 परियोजना प्रबंध इकाईः–

संस्थागत वित्त संचालनालय के अधीन जून 1996 में परियोजना प्रबंध इकाई की स्थापना की गई। भारत सरकार के नीतिगत निर्णय अंतर्गत विकासपरक नीतियों को मूर्त

रूप देने हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन बाह्य (विदेशी) वित्तीय सहायता के माध्यम से जुटाये जाते हैं। इन नीतियों अंतर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं में एकरूपता लाने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त संचालनालय द्वारा विभाग, भारत सरकार एवं बाह्य वित्त पोषित एजेंसियों के मध्य समन्वयक की भूमिका निभाने का कार्य किया जाता है, जिससे अधिकाधिक विदेशी सहायता का प्रवाह समयबद्ध कार्यक्रमानुसार सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश में प्रचलित बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं की उच्च स्तरीय सावधिक समीक्षा की जाती है।

प्रदेश में बाह्य वित्तीय सहायता से संचालित की जा रही परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः—

<u>बाह्य वित्तीय सहायता से संचालित परियोजनाऐंः—</u>

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र.	परियोजना का नाम	विभाग	वाहय वित्तदायी संस्था	परियोजना लागत	प्रगति		
					2006.07	2007.08	2008.09 (नव.08)
1	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग — I	ऊर्जा	ए.डी.बी.	589.63	0.00	62.65	83.86
2	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग — II	ऊर्जा	ए.डी.बी.	250.31	0.00	7.13	13.94
3	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग — III	ऊर्जा	ए.डी.बी.	819.00	0.00	55.36	190.99
4	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम भाग — IV	ऊर्जा	ए.डी.बी.	314.28	0.00	0.00	10.74
5	सड़क क्षेत्र विकास— परियोजना ऋण चरण—I	लोक निर्माण	ए.डी.बी.	1,175.00	311.07	418.80	212.83
6	मध्यप्रदेश राज्य सड़क क्षेत्र विकास परियोजना चरण—II	लोक निमार्ण	ए.डी.बी.	1640.00	0.00	159.76	174.99
7	शहरी जल प्रदाय एवं पर्यावरण सुधार परियोजना	नगरीय प्रशा. एवं विकास	ए.डी.बी.	1,269..70	23.31	271.89	108.83
8	शहरी जल प्रदाय एवं पर्यावरण सुधार परियोजना पूरक ऋण	नगरीय प्रशा. एवं विकास	ए.डी.बी.	443.75	0.00	0.00	0.00
9	मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना भाग—II	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	डी.एफ. आई.डी	336.00	0.00	40.61	18.13
10	म.प्र.अरबन सर्विसेज फार द पुअर प्रोग्राम	नगरीय प्रशा. एवं विकास	डी.एफ. आई.डी.	348.50	0.00	6.68	2.85

11	मध्यप्रदेश ऊर्जा क्षेत्र पुर्नसंरचना कार्यक्रम–द्वितिय चरण	ऊर्जा	डी.एफ. आई.डी.	138.60	0.00	1.92	1.47
12	मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	स्वास्थ्य	डी.एफ. आई.डी	510.00	0.00	47.90	50.00
13	मध्यप्रदेश शासकीय कार्य प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण	वित्त	डी.एफ. आई.डी.	31.45	0.00	1.82	3.67
14	तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	महिला एवं बाल विकास	आईफाड	41.18	0.01	0.81	3.47
15	तकनीकि शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	तकनीकी शिक्षा	विश्व बैंक	57.30	14.55	14.78	3.55
16	सामुदायिक वन प्रबंधन	वन	विश्व बैंक	8.62	0.45	2.11	0.57
17	इन्दिरा गांधी गरीबी हटाओ कार्यक्रम (DPIP)	ग्रामीण विकास	विश्व बैंक	521.05	73.03	37.26	6.53
18	म.प्र. जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना	जल संसाधन	विश्व बैंक	1,919.00	52.31	120.63	76.75
	योग			**10413.37**	**474.73**	**1250.11**	**963.17**

4.4 राज्य ब्रिस्क योजनाः–

प्रदेश में समुचित विकास के उद्‌देश्य से वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा व्यापार जगत के साथ–साथ शासन प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी संस्थागत साख उपलब्ध कराया जाता है। बैंकों द्वारा वितरित ऋणों की समयबद्ध वसूली से ही वित्त पोषण की निरन्तरता सुनिश्चित होती है। बैंक ऋण वसूली की समस्या के समाधान तथा सुगम वसूली के उद्‌देश्य से ''**मध्यप्रदेश लोक धन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987**'' में निहित प्रावधान अन्तर्गत ऋण ग्रहिता द्वारा ऋण का समय पर भुगतान नहीं किये जाने पर बैंक द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र पेश किये जाने पर शासन के राजस्व विभाग के अमले के माध्यम से वसूली किये जाने का प्रावधान है। बैंकों द्वारा ऋण की वसूली हेतु स्वयं के स्तर पर विशेष इकाई स्थापित करने पर भी वसूली नहीं हो पाने के कारण बैंकों के परामर्श एवं पूर्णतः आर्थिक सहयोग से बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली हेतु ''**बैंक वसूली प्रोत्साहन (ब्रिस्क) योजना**'' 1 अप्रैल 1995 से लागू की गई है।

ब्रिस्क योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा समन्वय हेतु संचालनालय में ''राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ'' कार्यरत है, जो ''ब्रिस्क प्रबन्ध समिति'' के पर्यवेक्षण एवं देखरेख में ब्रिस्क योजना का राज्य स्तर पर समन्वय, सतत समीक्षा, निरीक्षण, राज्य ब्रिस्क पुरस्कार योजना का संचालन तथा ब्रिस्क खातों का अंकेक्षण कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था तथा योजना के संवर्धन से संबंधित अन्य प्रासंगिक कार्य करता है।

ब्रिस्क योजना अंतर्गत बैंक अतिदेय राशियों की वसूली में निरन्तर सुधार परिलक्षित हो रहा है। योजना के प्रथम वर्ष 1995–96 में मात्र रूपये 3.43 करोड़ राशि की वसूली शासन के राजस्व अमले के माध्यम से की गई थी। गत तीन वर्ष की प्रगति निम्नानुसार हैः–

(राशि करोड में)

वर्ष	अर्जित वसूली	उत्कृष्ठ वसूली के आधार पर विजेता जिले
2005–06	98.85	इंदौर, भोपाल, छिंदवाडा, भिण्ड, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बुरहानपुर, रतलाम, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा एवं धार
2006–07	120.04	सिवनी, शाजापुर, बैतूल, इन्दौर, भोपाल, छिन्दवाड़ा, मण्डला, खरगोन, हाशंगाबाद, धार, देवास, मुरैना, दमोह, जबलपुर, रीवा
2007–08	99.16	मण्डला, उज्जैन, रायसेन, इन्दौर, छिन्दवाड़ा, भोपाल, होशंगाबाद, होशंगाबाद, खरगौन, मन्दसौर, मुरैना, डिण्डोरी, बैतूल, धार,

4.5 मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000ः–

राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एवं भारतीय प्रत्याभूति और विनिमय बोर्ड (SIDBI) की अनुशंसा पर प्रदेश के निक्षेपकों के हितों को संरक्षित करने के उद्‌देश्य से तथा अनिगमित निकायों व वित्तीय संस्थापनाओं (Un-incorporated Financial Bodies) की गतिविधियों पर अंकुश रखने हेतु ''मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2001'' लागू किया गया है। अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण नियम 2003 अधिसूचित किये गये हैं। अधिनियम में निहित प्रावधान को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन ने अधिसूचना द्वारा समस्त ज़िला कलेक्टरों को उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्य प्रदेश के 12 जिलों में कार्यरत 36 गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त किए गए हैं। इनमें से दो जिलों की 2 कम्पनियों में निक्षेपकों द्वारा जमा की गई राशि वापस करानें की कार्यवाही करा दी गई है, शेष कम्पनियों से निक्षेपकों की निवेशित राशि वापस कराने की कार्यवाही प्रचलित है।

4.6 मध्यप्रदेश मानव विकास प्रतिवेदनः–

मध्यप्रदेश, देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी स्थिति का विवरण देने के लिये मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 1995 में जारी किया। वर्ष 1998 में जारी किये गये दूसरे मानव विकास प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया कि वर्ष 1995 में जारी पहले मानव विकास प्रतिवेदन के बाद विकास कार्यों को लोगों की भागीदारी से कैसे एक नई गति प्रदान की जाती है। वर्ष 2002 में जारी तीसरे प्रतिवेदन के माध्यम से शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्थिति पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया। वर्ष 2007 में जारी किया गया चौथा प्रतिवेदन में अभी तक हासिल की गई प्रगति के साथ मौजूद चुनौतियों का भी ब्यौरा दिया गया है। इस प्रतिवेदन में प्रदेश की अधोसंरचनाओं पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है।

4.7 प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र की स्थितिः–

भारतीय रिजर्व बैंक की अग्रणी बैंक योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गठित एवं त्रैमासिक अन्तराल में आयोजित ''राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति'' के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्त पोषण से चलाई जा रही हितार्थी मूलक एवं रोजगार संबंधी शासन प्रायोजित विकासशील योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंकों एवं अन्य वित्तदायी संस्थाओं तथा राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों के मध्य प्रभावी समन्वय का कार्य सुनिश्चित किया जाता है।

प्रदेश में बैंकिंग सुविधाओं का विकास, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में अधिकाधिक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्राप्त शिकायत/अभ्यावेदन पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं बैंकों के राज्य स्तरीय तथा प्रधान कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित कर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

बैंक शाखा नेटवर्क (दिनांक 30.09.2008 की स्थिति):–

बैंक	ग्रामीण शाखाएं	अर्द्धशहरी शाखाएं	शहरी शाखाएं	कुल
वाणिज्यिक बैंक	992	675	935	2602
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	732	254	72	1058
सहकारी बैंक	686	471	72	1229
निजी बैंक	3	35	128	166
कुल योग	**2413**	**1435**	**1207**	**5055**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग क्षेत्र हेतु निर्धारित राष्ट्रीय मानक एवं प्रदेश की स्थितिः

(प्रतिशत में)

विवरण	निर्धारित मानक	वर्ष 2007–08 की स्थिति (31.03.08)	दिनांक 30.09.08 की स्थिति
साख–जमा अनुपात (C:D Ratio)	60.00	67	64
प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	40.00	62	64
कृषि अग्रिम	18.00	37	38
कमोजर वर्ग को अग्रिम	10.00	12	13

प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र के मुख्य सूचकांकः–

(रूपये करोड़ में)

विवरण	मार्च 2006 की स्थिति	मार्च 2007 की स्थिति	मार्च 2008 की स्थिति	सितम्बर 2008 की स्थिति
कुल जमा	61468	73229	89604	97684
कुल अग्रिम	39050	49106	60058	62472
प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	23952	29648	37128	40088
कृषि अग्रिम	13950	17362	18733	22116
कमजोर वर्ग को अग्रिम	4602	6322	7423	8295
लघु उद्योगों को अग्रिम	2057	3449	5773	5866

बैंकों को राज्य प्रायोजित योजनाओं हेतु वार्षिक साख योजनाः–

संस्थागत वित्त संचालनालय द्वारा राज्य शासन के सम्बन्धित विभागों एवं उपक्रमों के सहयोग से राज्य–स्तर की "राज्य साख योजना" [State Credit Plan - SCP] बनाने का कार्य वर्ष 1992 से किया जा रहा है। इस दस्तावेज़ में राज्य प्रायोजित ग़रीबी उन्मूलन, रोजगार मूलक योजनाओं के अन्तर्गत वित्तदायी संस्थाओं के आर्थिक सहयोग से कार्यान्वित योजनाओं के जिलेवार, योजनावार एवं विभागवार लक्ष्यों का समावेश होता है। वर्ष 2008–2009 हेतु राशि रूपये 1817 करोड़ की साख योजना बनाई गई है। वर्ष 2009–2010 हेतु साख योजना बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। राज्य साख योजना की प्रति हर वर्ष जिलों को प्रेषित की जाती है एवं इसकी जानकरी संचालनालय की वेबसाईट **(www.dif.mp.gov.in)** पर भी उपलब्ध रहती है।

(रू. करोड़ में)

क्षेत्र	वर्ष 2005–07			वर्ष 2006–07			वर्ष 2007–08		
	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत

कृषि क्षेत्र	5940	6954	117	7596	8882	117	8905	10612	119
फ़सल ऋण	4153	5085	115	5172	6792	131	6379	8029	126
सावधिक ऋण	1788	1869	105	2424	2090	86	2526	2583	102
लघु उद्योग क्षेत्र	537	525	98	684	472	69	875	1265	145
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1809	1958	108.26	2268	3042	134	2840	2260	80
योग	8256	9437	114	10548	12397	118	12620	14137	112

किसान क्रेडिट कार्डः—

प्रदेश में वर्ष 2004—05 के दौरान 788715, वर्ष 2005—06 के दौरान 503986, वर्ष 2006—07 के दौरान 439187, वर्ष 2007—08 के दौरान 437271 एवं वर्ष 2008—09 में (सितम्बर 2008 तक) 211067 किसान क्रेडिट कार्ड विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए है। प्रदेश में योजना प्रारंभ से सितम्वर 2008 तक कुल 4341240 किसान क्रेडिट कार्ड विभिन्न बैंको द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए गए है।

4.8 महिला नीति का कियान्वयनः—

महिला समुदाय को अपेक्षित बैंकिंग साख सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से दिनांक 30 सितम्बर 2007 की स्थिति में प्रदेश में कार्यरत बैंकों द्वारा 499551 महिला हितार्थियों को राशि रूपये 3314.02 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराये गये।

अध्याय–5

संचालनालय,पेंशन,भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश

विभागीय संरचना

5.1 सामान्य जानकारी :–

मध्यप्रदेश में वर्ष 1986 के पूर्व पेंशन प्रकरणों का निराकरण महालेखाकार द्वारा किया जाता था। तत्पश्चात प्रशासकीय विभागों को सहायता देने एवं कर्मचारियों की कठिनाईयों एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय हेतु वर्ष 1986 में पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय का गठन कर विभागों में पेंशन प्रकोष्ठ स्थापित किये।

शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्त की तारीख को ही पेंशन परिलाभों के प्राधिकार पत्र प्राप्त हो जाए इस उद्देश्य से राज्य शासन ने 1995 में पेंशन के कार्य का संभागीय स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया गया।

शासन द्वारा पेंशनरों के हित में पेंशन प्रक्रिया एवं नियमों का सरलीकरण करते हुये पेंशन/ग्रेच्युटी प्राधिकार पत्र जारी किये जाने की वर्तमान व्यवस्था संभागीय संयुक्त संचालक के स्थान पर कोषालय स्तर पर पेंशन विकेन्द्रीकरण का निर्णय लिया गया जिसके फलस्वरूप एवं परिवर्तित व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूर्व में गठित पेंशन प्रकोष्ठ के प्रभारी विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का पदनाम परिवर्तित कर संचालक, पेंशन किया गया तथा संचालक, पेंशन को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया।

म0प्र0शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 3135/3118/08/ई/चार, दिनांक 01.10.2008 द्वारा पेंशन संचालनालय का नाम परिवर्तित कर ''संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा'' किया गया है । ''संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा'' का पेंशन कार्यो के साथ–साथ विभागीय भविष्य निधि एवं बीमा सह बचत योजना 2003 के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया हैं।

5.2 स्वीकृत अमले की स्थितिः–

संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा म0प्र के अधीन निम्नानुसार पद स्वीकृत है :–

स.क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	2	3	4
1.	संचालक	प्रथम श्रेणी	01
2.	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	01
3.	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	01
4.	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	02
5.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01
6.	कार्यालय अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	01
7.	अंकेक्षण अधिकारी	तृतीय श्रेणी	04
8.	स्टेनोग्राफर	तृतीय श्रेणी	03
9.	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी	02
10.	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	06
11.	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	04
12.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	02
13.	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	01
14.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	06
15.	चौकीदार	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	01
16.	फर्राश(अंशकालीन)/स्वीपर(अंशकालीन)	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	01
17.	वाटर मैन	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	01
		योग :–	**38**

5.3 पेंशन संचालनालय के दायित्व :–

पेंशनर्स के स्वत्वों एवं उनकी सामान्य समस्याओं के निराकरण हेतु पेंशन संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये है :–

1– विभिन्न संभागीय संयुक्त संचालक,कोष लेखा एवं पेंशन/समस्त कोषाधिकारियों के मध्य पेंशन संबंधी मामलों में समन्वयकारी भूमिका ।

2– पेंशनर्स की समस्याओं का निराकरण ।

3– पेंशन नियमों का सरलीकरण एवं अद्यतनीकरण ।

4– पेंशन कार्य का अंकेक्षण ।

5– पेंशन कल्याण मंडल तथा पेंशन कल्याण कोष का संचालन ।

6– पेंशन संबंधी मामलों में परामर्श देना ।

7– समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभो/समस्याओं से संबंधित मामलों के लिए शासन के नोडल स्थान के रूप में कार्य ।

8– दिनांक 01.10.08 से उपरोक्त कार्यो के साथ–साथ विभागीय भविष्य निधि एवं बीमा सह बचत योजना 2003 के क्रियान्वयन का उत्तदायित्व भी सौंपा गया है।

9– राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया हैं ।

5.4 पेंशन प्रकरणों की प्रगति :–

विभागीयकरण योजना के अंर्तगत पेंशन संचालनालय द्वारा कुल 85250 पेंशन प्रकरण निराकृत किये गये ।

दिनांक 1 जून 1995 से पेंशन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण कर पेंशन कार्य समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष लेखा एवं पेंशन को सौंप दिया गया । विकेन्द्रीकरण के पश्चात अर्थात दिनांक 1.6.95 से 31.3.03 तक कुल 136353 पेंशन प्रकरण निराकृत किये गये है ।

5.5 पेंशन कार्य का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण :–

राज्य शासन द्वारा पेंशन कार्य का कोषालय में विकेन्द्रीकरण कर यह कार्य कोषालय अधिकारियों को सौंपा गया है ।

(क) भोपाल स्थित सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीनस्थ सभी श्रेणी के कर्मचारियों के पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./कम्युटेशन प्राधिकार पत्र संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन भोपाल संभाग द्वारा जारी किये जा रहे है तथा भोपाल के बाहर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों के शासकीय सेवको के पेंशन प्राधिकार पत्र संबंधित कोषालय अधिकारी द्वारा ही जारी किये जा रहे है ।

(ख) पेंशन कार्य का कोषालय में विकेन्द्रीकरण के पश्चात् (नवम्बर 2002 से दिसम्बर 2008) तक कुल 91968 पेंशन प्रकरण निराकृत किये गये ।

कोषालय में विकेन्द्रीकरण के पश्चात् निराकृत पेंशन प्रकरणों की वित्तीय वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :—

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	निराकृत पेंशन प्रकरणों की संख्या
01	वित्तीय वर्ष 2002—03 (दि.1/11/2002 से 31/3/2003 तक)	2142
02	2003-2004	15700
03	2004-2005	17467
04	2005-2006	16509
05	2006-2007	16597
06	2007-2008	12578
07	2008-2009 (दिसम्बर 2008 तक)	10975
	कुल निराकृत प्रकरणः—	91968

5-6 पेंशन कार्य का अंकेक्षणः—

पेंशन कार्य के कोषालयों में विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप समस्त कोषालय अधिकारियों द्वारा किये जा रहे पेंशन कार्य का पेंशन संचालनालय द्वारा कोषालयों का अंकेक्षण का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2008—2009 में जिला कोषालय, खण्डवा, उज्जैन, देवास, विदिशा, एवं होशंगाबाद का अंकेक्षण किया किया है ।

5.7 पेंशनर कल्याण मंडल :—

राज्य शासन द्वारा पेंशनरों की समस्याओं पर सतत् विचार कर निराकरण करने के लिए पेंशनर कल्याण मंडल का भी गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न पेंशनर संघों के 6 प्रतिनिधि नामांकित होते है, इसकी बैठक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में वर्ष में दो बार होती है । मंडल का कार्यकाल दो वर्ष का होता है, वर्तमान मंडल का पुर्नगठन दिनांक 05.01.2008 को हुआ है ।

5.8 पेंशनर कल्याण कोषः—

शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों एवं उनके परिवार के सदस्यों की लंबी अथवा गंभीर प्रकार की बीमारी, दुर्घटना, अपंगता अथवा अंधे होने जैसी देवी विपदा के समय वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से रूपये 10.00 लाख की राशि से पेंशनर कल्याण कोष स्थापित किया गया है । कोष की स्थापना वर्ष 1988 से अभी तक कुल 3134

प्रकरणों में रूपये 54,44,038/— मात्र की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है । इस कोष में वर्तमान में शेष राशि रू0 1,16,974/— है।

पेंशनर कल्याण कोष की स्थापना वर्ष 1988 से अभी तक कुल 3134 प्रकरणों में रूपये 53,98,396/— मात्र की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिसकी वित्तीय वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :—

स. क्र.	वित्तीय वर्ष	बैठकों की संख्या	स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	1989-1990	02	28	31900
2	1990-1991	04	45	46400
3	1991-1992	04	48	81377
4	1992-1993	02	56	83174
5	1993-1994	04	151	205314
6	1994-1995	06	198	298138
7	1995-1996	02	147	152140
8	1996-1997	04	335	656917
9	1997-1998	03	309	892260
10	1998-1999	00	0	0
11	1999-2000	01	367	1087780
12	2000-2001	03	445	435595
13	2001-2002	01	127	172581
14	2002-2003	02	140	211290
15	2003-2004	01	01	106405
16	2004-2005	02	208	218953
17	2005-2006	03	215	270149
18	2006-2007	02	86	101260
19	2007-2008	03	128	228103
20	2008-2009	01	100	164302
	योगः—	**50**	**3134**	**5444038**
पेंशनर के दिवंगत होने से राशि वापस जमा (—)				**45642**
कुलयोगः—				**5398396**

इस कोष में वर्तमान में शेष राशि रू0 1,16,974/— है ।

5.9 जिला पेंशनर फोरम :—

सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ–11–2/03/15/क.क दिनांक 23.10.03 द्वारा जिला पेंशनर फोरम को गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत पेंशनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है । जिला पेंशनर फोरम का मुख्य कार्य पुराने पेंशन प्रकरणों को ज्ञात करने, सुलझाने एवं पेंशनरों की कल्याणकारी गतिविधियों में सहायता करना है ।

5.10 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना :–

राज्य शासन के अधीन दिनांक 1.1.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गयी है । 1 जनवरी 2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों की संख्या 20803 है । इस कर्मचारियों को स्थायी पेंशन खाता आवंटित किया जा चुका है । कर्मचारियों के अंशदान की राशि रू. 14.17 करोड़ एवं शासकीय अंशदान की राशि 14.17 करोड़ की पृविष्टि कर्मचारियों के खाते में की जाकर कर्मचारियों को लेखा पर्ची जारी किये जाने का कार्य किया जा रहा है ।

परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अन्तर्गत संभागवार नियुक्त कर्मचारियों को आंवटित स्थायी पेंशन खाता क्रमांक की जानकारी का प्रगति प्रतिवेदन

स0क्र0	संभाग का नाम	नियुक्त कर्मचारियों की संख्या	कुल आवंटित स्थायी पेंशन खाता क्रमांक की संख्या	प्रगति का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	भोपाल/होशंगाबाद संभाग	3713	3713	
2	इन्दौर संभाग	3739	3739	
3	उज्जैन संभाग	2249	2249	
4	सागर संभाग	1762	1762	
5	ग्वालियर/ चम्बल संभाग	2834	2834	
6	रीवा संभाग	2234	2234	
7	जबलपुर संभाग	4272	4272	
	कुल योग–	**20803**	**20803**	

5.11 सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 :–

इस कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभिन्न वर्षों में 47 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें वर्ष 2008 में 11 आवेदन प्राप्त हुये जिनका निराकरण किया जा चुका है ।

अध्याय–6

संचालनालय,अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज

6.1 संरचनाः–

अल्प बचत संचालनालय की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। वर्ष 1979 में अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज को संविलियन कर संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज का गठन किया गया। संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज के अन्तर्गत 48 जिला कार्यालय स्थापित है।

राज्य स्तर पर संचालनालय और जिला स्तर पर जिला अल्प बचत कार्यालय स्थापित है। संचालनालय का मुख्य कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अल्प बचत योजनाओं को प्रोत्साहन तथा जमा राशियों को राज्य की आवश्यकता के अनुरुप बढ़ाने हेतु अथक् प्रयास करना है। उक्त के अतिरिक्त संचालनालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण रखता है।

संचालनालय स्तर की संरचना निम्न प्रकार हैः–

स.क.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	संचालक,	भारतीय प्रशासनिक सेवा,	01
2	संयुक्त संचालक,	म0प्र0 वित्त सेवा,	01
3	सहायक संचालक,	द्वितीय श्रेणी	01
4	लेखाधिकारी,	म0प्र0 वित्त सेवा,	01
5	जिला अल्प बचत अधिकारी	तृतीय श्रेणी, (कार्यपालिक)	01
6	शीघ्र लेखक,	तृतीय श्रेणी,	02
7	सहायक ग्रेड–1,	तृतीय श्रेणी,	06
8	लेखापाल,	तृतीय श्रेणी,	01
9	सहायक ग्रेड–2,	तृतीय श्रेणी,	06
10	क्षेत्रीय सहायक	तृतीय श्रेणी, (कार्यपालिक)	01
11	सहायक ग्रेड–3,	तृतीय श्रेणी,	07
12	वाहन चालक,	तृतीय श्रेणी,	01
13	दफतरी,	चतुर्थ श्रेणी,	01
14	जमादार,	चतुर्थ श्रेणी,	01
15	भृत्य/फर्राश	चतुर्थ श्रेणी,	14
16	चौकीदार,	चतुर्थ श्रेणी,	01
17	वाहन चालक,	आकस्मिकता निधि से,	03
18	स्वीपर	आकस्मिकता निधि से,	01

	योगः–		50

6.2 अधीनस्थ कार्यालयः–

संचालनालय के अधीनस्थ जिला कार्यालयों में केवल 1 जिले में वरिष्ठ जिला अल्प बचत अधिकारी पदस्थ है। अन्य 18 जिलों में जिला अल्प बचत अधिकारी पदस्थ हैं, शेष जिलों में क्षेत्रीय सहायक अथवा लिपिक वर्ग कर्मचारियों से कार्य कराया जाता है।

अधीनस्थ जिला कार्यालयों द्वारा भारत सरकार की अल्प बचत योजनाओं के प्रचार प्रसार का कार्य एवं अल्प बचत अभिकर्ताओं की नियुक्ति, नियत समय अन्तराल पर अभिकर्ताओं की उनकी एजेन्सी का नवीनीकरण एवं संग्रहण बढ़ाने से संबंधित अन्य कार्यो का सम्पादन जिलाध्यक्ष के नियंत्रण में किया जाता है।

जिला स्तर पर संरचना निम्न प्रकार है–

क्र0.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	वरिष्ठ जिला अल्प बचत अधि.	द्वितीय श्रेणी	03
2	जिला अल्प बचत अधिकारी	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	18
3	क्षेत्रीय सहायक	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	33
4	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी	05
5	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	05
6	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	06
	योग		70

अल्प बचत संबंधी जानकारी–

6.3 दायित्वः–

विभाग का मुख्य उदद्देश्य राज्य के विकास के लिये घरेलू बचतों को भारत सरकार की अल्प बचत योजना में विनियोजन करने हेतु आम जन को प्रेरित करना है।

प्रदेश में संग्रहित होने वाली अल्प बचत शुद्ध संग्रहण राशि का 100 प्रतिशत भाग भारत सरकार से प्रदेश सरकार को दीर्घकालीन ऋ़ण के रुप में प्राप्त होता है जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विकास कार्य में किया जाता है।

अल्प बचत योजनाओं में अधिकाधिक संग्रहण के लिये विभाग द्वारा प्रचार–प्रसार, शिविर, सेमिनार, संगोष्ठी, आयोजन आदि की रणनीति बनाई जाती है एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु एजेन्टों की नियुक्ति एवं निर्देशन भी किया जाता है।

महत्वपूर्ण संख्यिकी

6.4 अल्प बचत संग्रहण की वर्षवार उपलब्धियॉ–

विगत् 10 वर्षो में अल्प बचत के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ–

(राशि करोड़ रुपयों में)

क0	वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	सकल संग्रहण	शुद्ध संग्रहण
1.	2.	3.	4.	5.
1	1999–2000	563.50	1968.12	970.02
2	2000–2001	1066.50	2209.86	1038.89
3	2001.2002	1205.00	2677.71	1373.57
4	2002–2003	3120.00	3799.67	1953.38
5	2003–2004	3001.00	4576.74	2256.74
6	2004–2005	3400.00	5746.36	3298.65
7	2005–2006	3220.00	6381.99	3019.63
8	2006–2007	3250.00	4951.28	1338.81
9	2007–2008	2500.00	4087.42	–403.12
10	2008–09	1250.00	2503.71 माह नवम्बर 08 तक	–276.19 माह नवम्बर 08 तक

अध्याय - 7

संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली

7-1 विभागीय संरचना :-

इस संचालनालय के अधीनस्थ अन्य कोई कार्यालय नहीं है।

7-2 विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरणः-

इस संचालनालय के अंतर्गत कोई मण्डल/उपक्रम/संस्थायें नहीं है।

7-3 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारीः-

वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली का गठन वर्ष 1987 में राज्य के आय-व्यय पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया था। मार्च 1989 से संचालनालय ने कार्य शुरू किया तथा तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास प्रारंभ किये गये। वर्ष 1991-92 से राज्य शासन के संपूर्ण बजट कार्य को कम्प्यूटर के माध्यम से संकलित किया जा रहा है एवं इस हेतु साफ्टवेयर में समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिमार्जन किया जाकर उसे अद्यतन किया जाता है।

वार्षिक बजट संबंधित समस्त आंकड़ों के कम्प्यूटर पर उपलब्ध होने से आवश्यक सूचनाएं उच्च स्तर पर तत्काल तथा आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाना संभव हो सका।

संचालनालय द्वारा वित्त विभाग के लिये वेब साईट भी विकसित की गई है। जिसमें वित्त विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों को दर्शाया गया है। इस वेब साईट के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैः-

◆ वित्त विभाग की सामान्य जानकारीः- विभाग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य, आरगेनाईजेशन चार्ट, विभाग में पदस्थ अधिकारियों की जानकारी, विभाग के अधिनस्थ कार्यरत संचालनालय/निगम/संस्थाओं की जानकारी, नियमों /अधिनियमों की जानकारी, विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों/अधिसूचनाओं की वर्षवार जानकारी आदि।

- विधान सभा में प्रस्तुत किये गये मुख्य बजट की जानकारी मुख्य सचिव का स्मृति पत्र, खण्ड-1, खण्ड-2, खण्ड-3, खण्ड-4, खण्ड-5 एवं विभागों की विभिन्न मांग संख्याओं में बजट अनुमान की जानकारी एवं बजट संबंधी अन्य सूचनायें।
- वित्त मंत्रीजी द्वारा मुख्य बजट के लिये विधान सभा में दिया गया भाषण।
- बजट के मुख्य आकर्षण की जानकारी।
- विधान सभा में प्रस्तुत अनुपूरक अनुमानों की जानकारी।
- बजट संबंधी शब्दावली एवं प्रयुक्त होने वाले कोड की जानकारी।
- बजट संबंधी क्वेरी (विभिन्न मांग संख्यावार, मुख्य शीर्षवार एवं राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय एवं लोक लेखा संबंधित जानकारी।
- महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदन।
- वित्त विभाग के सूचना के अधिकार संबंधी जानकारी।
- जेण्डर बजट की जानकारी - राज्य शासन की महिलाओं के सशक्तिकरण एवं शासकीय कार्यक्रमों में संचालन में इस प्रतिबद्धता को सुस्पष्ट करने के लिए जेण्डर बजट तैयार किया गया है। जेण्डर बजट के माध्यम से सरकार की नीतियों एवं महिलाओं के लिए बजट के माध्यम से वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2007-08 के बजट में 13 विभागों में जेण्डर बजटिंग का खण्ड तैयार (खण्ड-6) किया गया है।
- परिणामी बजट की जानकारी - राज्य शासन की वर्ष 2007-08 में विकास योजनाओं से अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिणामी बजट विभागवार तैयार किया गया। परिणामी बजट में महत्वपूर्ण आयोजना परिव्यय को सम्मिलित किया गया, जिसे वेबसाई पर मीडिया. आर्थिक विशेषज्ञ एवं जनसामान्य को विकास की योजनाओं की समीक्षा के लिये उपलब्ध कराया गया है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत दस्तावेजों को तैयार करने तथा विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों एवं

सूचनाओं को भी तैयार किया गया। वित्तीय वर्ष 2007-08 की प्रथम छःमाही एवं द्वितीय छःमाही का समीक्षा विवरण एवं वर्ष 2008-09 की प्रथम छःमाही का आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छःमाही विवरण तैयार कर वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया।

- सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सहायता, राज्य सरकार की विभिन्न संस्थाओं को सीधे उपलब्ध कराई जा रही है। लोक वित्त की यह राशि राज्य की संचित निधि में सम्मिलित न रहने से बजट प्रस्तावों में प्रदर्शित नहीं हो पा रही थी। वर्ष 2008-09 से बजट साहित्य के साथ उपर्युक्त जानकारी पृथक से तैयार कर खण्ड-7-राज्य शासन की संस्थाओं को सीधै प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता राशि का विवरण प्रस्तुत की गई। इस जानकारी को विभाग की वेब साईट पर भी उपलब्ध कराया गया।

वेब साईट का मुख्य पृष्ठः- साईट का नाम www.mp.gov.in/finance

संचालनालय द्वारा पेपर लेस बजट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। जिसके अंतर्गत मुद्रा साफ्टवेयर का विकास किया गया है। जिसकी सहायता से विभाग के बजट प्रस्ताव कम्प्यूटर के माध्यम से प्राप्त किये गये। इससे अन्य विभागीय कार्यालयों को बजट बनाने में सुविधा हुई एवं बजट प्रस्तावों को कागज के स्थान पर भेजने से वित्त विभाग को प्रस्तावों के परीक्षण में काफी सुविधा हुई। इस साफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न सूचनायें तैयार की जा सकती है। इसके द्वारा बजट प्रस्तावों का परीक्षण करने में विशेष सहायता प्राप्त हुई है। सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों से उनके बजट प्रस्ताव उन्हे उपलब्ध कराई गई सी.डी. के फार्मेट में लिये जा रहे है।

संचालनालय में संचालक बजट ही संचालक वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली का कार्य देखते हैं। वर्तमान में संचालनालय स्तर पर ही कार्यालय कार्यरत है। विगत पांच वर्षो से इस संचालनालय में कोई स्वतंत्र नियुक्ति, नहीं हुई है। कोई अधिनस्थ कार्यालय न होने के किसी के स्थानांतरण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। संचालनालय के अतिरिक्त अन्य कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। अमले की स्थिति निम्नानुसार है।

क्रमांक	पदनाम	श्रेणी	पद संख्या
1.	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी	01
2.	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	01
3.	डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	द्वितीय श्रेणी	01
4.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01
5.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	02
6.	शीघ्रलेख	तृतीय श्रेणी	01
7.	लेखापाल	तृतीय श्रेणी	01
8.	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	01
9.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	01
10.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	02
11.	वाहन चालक	जिलाध्यक्ष दर पर	01
12.	भृत्य	जिलाध्यक्ष दर पर	01

7,4 विभाग के दायित्व :-

यह संचालनालय वित्त विभाग की इकाई के रुप मे कार्य करता है। वित्त विभाग द्वारा किये जाने वाले बजट एवं अन्य कार्य इस इकाई के माध्यम से संचालित किये जाते है, जैसेः-

- महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त आय/व्यय के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वित्तीय सूचनायें तैयार कर विभागों/अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- राज्य के वार्षिक व अन्य नियतकालिक बजट दस्तावेजों को तैयार करना।
- बजट नियंत्रण अधिकारियों से मुद्रा साफ्टवेयर के माध्यम से बजट आंकड़े प्राप्त कर बजट संकलन की कार्यवाही करना।
- राज्य के वित्तीय प्रबंधन हेतु उच्च अधिकारियों को आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराना।

भाग-दो

(अ)(ब)राज्य योजनायें तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनायेंः-

इस संचालनालय द्वारा कोई भी राज्य आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना नहीं चलाई जाती।

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनायें

विश्व बैंक की सहायता से कोई योजनायें नहीं चलाई जाती।

(द) विदेशी सहायता से चलाई जाने वाली योजनायेः-

इस संचालनालय में कोई विदेशी सहायता प्राप्त योजनायें/परियोजनायें नहीं है।

(ई) अन्य योजनायेः-

कोषालयों का एकीकृत कम्प्यूटराईजेशन

कोषालयों के एकीकृत कम्प्यूटराईजेशन की योजना का क्रियान्वयन संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा किया जा चुका है। इस योजना के एक विषय का नियंत्रण वित्त विभाग के अंतर्गत है। इस नियंत्रण का कार्य संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शासकीय ऋण भुगतान, ब्याज भुगतान, शासकीय प्रत्याभूतियां, महालेखाकार के अंकेक्षण पैरा, बाजार ऋण आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी का संकलन किया जा रहा है।

भाग-तीन

सामान्य प्रशासनिक विषय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 को लागू किया जाकर संचालक, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली भोपाल को प्रथम अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त संचालक वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली भोपाल को लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक संचालक, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली भोपाल को, सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

प्रतिवेदित अवधि में लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

सारांश

वर्ष 2008-2009 के वार्षिक बजट तथा अनुपूरक अनुमानों का संकलन किया गया तथा परिवर्तित प्रारुप के अनुसार उनकी मूल प्रतियों का मुद्रण किया गया। वित्त विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु उच्च तकनीक पर आधारित तथा आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट बनाई गई।

अध्याय–8

मध्य प्रदेश वित्त निगम

8.1 सामान्य जानकारी :–

भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम राज्य वित्त निगम अधिनियम,1951 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य में कार्य करने हेतु वर्ष 1955 में मध्य प्रदेश वित्त निगम स्थापित किया गया। देश में लगभग सभी राज्यों में एक वित्त निगम की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में इन समस्त वित्त निगमों का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त प्रदान करने की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) से पुनर्वित्त प्रदान किया जा रहा है।

8.2 मुख्य उद्देश्यः–

(1) मध्य प्रदेश राज्य में लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्रों में उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(2) राज्य के अविकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने, विशेषकर जहाँ वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

(3) राज्य का संतुलित क्षेत्रीय विकास करने हेतु नवउद्यम परियोजनाओं (ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स) के लघु एवं मध्यम स्तर के इकाइयों को बढ़ावा देना।

(4) रोजगार के नए अवसर निर्मित करने हेतु प्रारम्भ की गई विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की योजनाओं एवं राज्य शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन करना।

(5) लघु सेवा आधारित संस्थानों के पेशेवरों जैसे डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रबन्धकों, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स इत्यादि को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, वित्त, प्रबन्धन, लेखांकन, शिल्प, सार्वजनिक निर्माण इत्यादि की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता आसान एवं आकर्षक ब्याजदरों व मार्जिन पर उपलब्ध कराना।

(6) लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों जैसे ऑटो कम्पोनेन्ट, खाद्य प्रसंस्करण, इस्पात एवं इस्पात उद्योग, सूचना एवं प्रसारण उद्योग व उर्वरक इत्यादि सहायक उद्योगों (एन्सीलरी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(7) ऋण प्रवाह को पिछड़े क्षेत्रों एवं छोटे कस्बों में भी प्रसारित करने हेतु व्यावसायिक विकास केन्द्र खोलना।

(8) ऋण जोखिम के उचित प्रबन्धन के लिए छोटे–छोटे ऋण पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करना जिससे छोटे ऋणग्रहिताओं और छोटे ऋणों में वृद्धि हो सके तथा राज्य का चहुँमुखी विकास हो सके।

8.3 उपलब्धियाँः–

निगम द्वारा राज्य के औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जैसे किः–

(1) राज्य में गत 5 वित्तीय वर्षों में 1996 इकाइयों को रूपये 725.14 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2008 तक 166 इकाइयों को रूपये 117.90 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की।

निगम द्वारा स्वीकृत तथा वितरित ऋण का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैः–

तालिका

(रूपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	ऋण राशि स्वीकृत	वितरित ऋण राशि	वसूली
2003–04 *	56.45	41.83	83.10
2004–05	162.22	110.00	90.43
2005–06	167.72	115.54	91.80
2006–07	170.30	122.60	116.36
2007–08	168.45	97.27	122.83
2008–09 (31.12.2008 तक)	117.90	75.23	92.24

* छत्तीसगढ़ विभाजन के पश्चात् शेष मध्य प्रदेश का व्यवसाय।

(2) राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में इकाइयों की स्थापना हेतु वर्ष 2007–08 में रूपये 75.98 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये गये, जो कुल स्वीकृति का 45 प्रतिशत है।

(3) निगम द्वारा प्रदत्त वित्त के फलस्वरूप रोजगार के नए अवसर निर्मित किये गये।

8.4 <u>राज्य में पूंजी विनिवेशः</u>–

मध्य प्रदेश वित्त निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में 97.00 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण का वितरण नई औद्योगिक इकाईयों तथा अन्य सेवा क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना एवं स्थापित इकाईयों के आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण हेतु किया गया।

(1) निगम द्वारा गत 5 वर्षों में ऋण स्वीकृत एवं वसूली में सतत् वृद्धि की गई।

(2) निगम अपनी समस्त देनदारियों का भुगतान करता आया है एवं राष्ट्रीय स्तर के बैंकों एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा निगम को पूर्ण समर्थन दिया जाता रहा है।

(3) राज्य में अविकसित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना में निगम की प्रभावी भूमिका है एवं इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक निगम को प्रतिवर्ष पुनर्वित्त प्रदान करता है।

(4) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा निगम की आर्थिक पुनर्संरचना हेतु मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश वित निगम के साथ मार्च, 2004 में त्रिपक्षीय करारनामा किया गया था जिसकी अवधि मार्च, 2009 में समाप्त हो रही है। निगम द्वारा करारनामे में उल्लेखित कार्ययोजना का संतोषजनक अनुकरण किया गया। अतः भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आगामी 5 वर्ष की अवधि हेतु नए करारनामे हेतु सहमत है।

(5) प्रदेश में औद्योगीकरण की सम्भावना और रोजगार के अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए निगम ने नई ऋण योजनाएँ प्रारम्भ की हैं जिनमें प्रत्यक्ष रूप से रोजगार निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन योजनाओं द्वारा नये उद्योगों के अतिरिक्त सेवा एवं व्यवसाय इत्यादि क्षेत्रों में भी ऋण प्रदान किया जा रहा है।

(6) निगम द्वारा उच्च ब्याज दर वाले एस.एल.आर. बॉण्ड्स के भुगतान के प्रयास किए गए। राज्य सरकार द्वारा भी 113.50 करोड़ रूपये प्रदान किए गए जिससे निगम ने कई प्रमुख संस्थानों जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया इत्यादि के उच्च ब्याज दर के बॉण्ड्स का भुगतान किया एवं ब्याज में समुचित छूट प्राप्त की।

8.5 सुधार के प्रयासः—

निगम के खर्चों पर नियंत्रण के लिए सुदृढ़ बजट समर्थन प्रणाली जारी रखी गई और इसके फलस्वरूप ब्याज एवं वित्तीय खर्चे में तथा सेवावर्गीय खर्चों में नियंत्रण किया जा सका है। निगम द्वारा उच्च लागत अर्थात 11.33 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के मध्य ब्याज दर वाले बॉण्ड्स को कम ब्याज दर यानि 8 प्रतिशत पर परिवर्तित किये जाने में सफलता प्राप्त की है। निगम द्वारा पिछले 5 वर्षों में कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है। निगम ने परिचालन व्यय में कमी लाने के लिए अभी तक कुल 36 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की एवं वर्तमान में भी यह योजना लागू है।

वित्तीय वर्ष 2006—07 तक निगम के लेखा नगद लेखा पद्धति पर आधारित थे, परन्तु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की सलाह अनुसार लेखा प्रणाली को नकद लेखा पद्धति से मर्केन्टाइल लेखा पद्धति में परिवर्तन किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2007—08 के लेखा मर्केन्टाइल पद्धति पर तैयार किए गए।निगम ने वर्ष 2007—08 में शुद्ध लाभ रूपये 100.94 लाख अर्जित किया है।

8.6 आय में वृद्धिः—

औद्योगिक ऋण प्रदान करने तथा इफको—टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के साथ बीमा के क्षेत्र में कार्य करने के साथ उच्च लागत वाले बॉण्ड्स का समय पूर्व भुगतान किये जाने के प्रयास किये हैं। साथ ही जीवन बीमा के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्पोरेट एजेन्ट के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया है। इसके फलस्वरूप निगम की अतिरिक्त आय में वृद्धि होगी।

8.7 निगम द्वारा उठाये गये ग्राहक हितैषी कदमः–

प्रदेश में निगम के 9 व्यवसाय विकास केन्द्र यथोचित अधिकार विकेन्द्रीकरण सहित कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में स्थित है। इन व्यवसाय विकास केन्द्रों का निगम के व्यवसाय में इस वर्ष भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। वर्ष 2007–08 में कुल स्वीकृत 306 ऋण प्रकरणों में 152 ऋण प्रकरण व्यवसाय विकास केन्द्रों द्वारा स्वीकृत किये गये हैं जो कुल प्रकरणों का लगभग 50 प्रतिशत है। निगम द्वारा स्वीकृति, वितरण एवं विधिक दस्तावेजीकरण की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। उद्यमियों की सुविधा हेतु निगम की समस्त योजनाओं की जानकारी, आवेदन–पत्र, ब्याज की दर एवं प्रक्रियाओं की जानकारी वेबसाईट (www.mpfc.org) पर उपलब्ध कराई गई है।

अध्याय–9

प्राविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड

9.1 सामान्य जानकारी :–

प्राविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी की स्थापना सन 1926 में की गई थी । ग्वालियर राज्य एंव अन्य निकायों के पास उपलब्ध धन का विनियोग मुम्बई मे सर शापुरजी ब्रोचा एवं उनकी मत्यु के पश्चात श्री एफ ई दिनशा द्वारा किया गया। यह निगम कम्पनीज अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकत है।

9.2 उददेश्य :–

कम्पनी का मुख्य व्यवसाय अंशो ऋणपत्रों में वेष्ठित विनियोगों का कय विकय एंव उन पर लाभांश एंव ब्याज प्राप्त करना एंव सम्पत्तियों का प्रबंध करना है।

9.3 कम्पनी की वित्तिय स्थिति :–

कम्पनी की वित्तिय स्थिति तालिका 9.1 में दर्शायी गयी है। कम्पनी ने सन 2008–2009 में रू. 7.00 करोड का लक्ष्य रखा था जिसमें से कम्पनी ने अभी तक रू. 2.83 करोड का लाभ अर्जित किया है। वर्तमान बाजार में उतार चढाव के कारण लाभ की संभावना कम है।

तालिका 9.1

(राशि लाखों में)

unaudited

विवरण	2006–07	2007–08	2008–09
अंश पूंजी	49.66	49.66	49.66
संचित लाभ	1465.69	1925.98	2098.88
आय	498.01	748.03	345.28
व्यय	126.50	137.98	61.90
लाभ हानि	371.51	610.04	283.38
लाभांश	150%	150%	150%

अध्याय–10

मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड

10.1 मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड :–

राज्य शासन की अधोसंरचना परियोजनाओं हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से ''मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000'' के अधीन गठित ''मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड'' गठित है। बोर्ड द्वारा अधोसंरचना परियोजनाओं हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है। राज्य शासन द्वारा भारत सरकार की वाईविलिटी गैप फण्डिंग योजना अंतर्गत दिए जाने वाले अनुदान का निर्गमन बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है।

बोर्ड द्वारा अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं हेतु वित्तीय व्यवस्था का प्रस्ताव प्राप्त होने पर धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

10.2 जन–निजी भागीदारी के माध्यम से अधोसंरचना परियोजनाओं का कियान्वयन :–

प्रदेश में शासकीय स्त्रोतों से अधोसंरचना परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार संसाधनो की पर्याप्त उपलब्धता नही होने तथा निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता का दोहन करने की दृष्टि से जन–निजी भागीदारी के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की वित्तीय सहायता से अधोसंरचना परियोजनाओं का कियान्वयन राज्य ज्ञासन के लिये महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अतएव राज्य ज्ञासन द्वारा प्रदेश में पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने तथा ऐसी परियोजनाओं के विकास में सहायता तथा समन्वय करने के उद्देश्य से संचालनालय संस्थागत वित्त में पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्टस् सेल गठित किया गया है। संचालक संस्थागत वित्त को इस हेतु राज्य सरकार के अधोसंरचना संबंधी कार्य करने वाले विभागों एवं भारत सरकार से समन्वय करने हेतु नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जन–निजी भागीदारी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिये पी.पी.पी. सेल को तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अधीन तीन वर्ड्ढ के लिए एक पीपीपी विशेषज्ञ तथा एक एमआईएस विशेषज्ञ की सेवाऐं उपलब्ध करायी गई हैं। जन–निजी भागीदारी परियोजनाओं के विकास एवं बिड

डाक्यूमेन्टस् (Bid Ducuments) आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार द्वारा ट्रांजेंक्सन एडवाईजर्स का एक पैनल तैयार किया गया है। पीपीपी सेल द्वारा उक्त पैनल में से सलाहकारों की सेवाऐं जन–निजी भागीदारी परियोजनाओं के विकास हेतु लेने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा ऐसी जन–निजी भागीदारी परियोजनाओं, जिनकी वित्तीय–संभाव्यता कम है, के लिये Viability Gap Funding (V.G.F.) की सुविधा प्रदान की जाती है। प्रदेश ने भारत सरकार की उक्त योजना के अन्तर्गत त्वरित पहल करते हुये देश्‍ा में सर्वप्रथम सडक परियोजनाओं में VGF प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त किया है। प्रदेश में दिसम्बर 2007 तक रूपये 2447.55 करोड़ की सडक परियोजनाओं का जननिजी भागीदारी के अन्तर्गत क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जा चुका था।

जनवरी 2008 के पश्चात जन–निजी भागीदारी के अन्तर्गत सड़क सहित विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित परियोजनाऐं स्वीकृत की गयी हैं :–

No.	Name of Project	Project Cost (Rs. In Crore)
1.	CBD at Bhopal	1,500.00
2.	Digital City at Thatipur, Gwalior	1,200.00
3.	I.T.Park at Bhopal	2,050.00
4.	Sport City at Bhopal	900.00
5.	Bhopal By-pass Road	252.00
6.	Indore-Dewas Road	252.00
7.	Public Conveniences at Bhopal (36 nos.)	3.00
8.	City Bus Stop at Bhopal (100 nos.)	2.00
9.	Logistic Hub at Mandideep	35.00
10.	Office complex cum Guest house at Vasi, Mumbai	44.00
11.	ITI upgradation	52.00
	Grand Total	**6,290.00**

उक्त परियोजनओं के अतिरिक्त वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 3000 करोड़ रूपये की लागत वाली लगभग 80 परियोजनाओं के विकास की सक्रिय पहल की जा रही है पीपीपी सेल द्वारा प्रदेश में न केवल भौतिक अधोसंरचना के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी जन–निजी भागीदारी परियोजनाओं को बढावा देने हेतु गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं। जन–निजी भागीदारी परियोनजाओं के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पीपीपी सेल द्वारा जारी किये गये हैं। ऐसी परियोजनाओं के विकास हेतु भारत सरकार

द्वारा निर्मित इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फण्ड (I.I.P.D.F.) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रदेय के विभागों एवं नगरीय निकायों को प्रेरित किया गया है। उक्त कोष से भारत सरकार द्वारा भोपाल नगर निगम एवं ग्वालियर नगर निगम को जन–निजी भागीदारी परियोजनाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता स्वीकृत की गयी है। प्रदेश स्तर पर भी परियोजना विकास कोष स्थापित करने हेतु पहल की गयी है। इस प्रकार जन–निजी भागीदारी के अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अधोसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से व्यापक निजी निवेश की संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिये पी.पी.पी. सेल प्रयासरत है।

भाग–दो
बजट एक दृष्टि में

अध्याय–11

विभागाध्यक्षों के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय

11.1 संचालनालय,_कोष एवं लेखा :–

वर्ष 2008-2009 में प्राप्त आवंटन के विरूद्व दिसम्बर, 2008 तक के व्यय के आंकडे :-

कोष एवं लेखा को रूपये 50.69 करोड बजट स्वीकृत किया गया है। जिसके विरूद्व दिसम्बर, 2008 तक रूपये 26.53 करोड का व्यय किया जा चुका है।

11.2 संचालनालय,स्थानीय निधि संपरीक्षा :–

वर्ष 2008-2009 में रूपये 23.14 करोड का बजट स्वीकृत हुआ जिसमें माह दिसम्बर, 2008 तक रूपये 12.36 करोड का व्यय हुआ।

11.3 संचालनालय,संस्थागत वित्त :–

वर्ष 2008-2009 में रूपये 102.19 करोड का बजट आवंटन स्वीकृत हुआ जिसमें माह दिसम्बर, 2008 तक रूपये 34.31 करोड़ का व्यय हुआ।

11.4 संचालनालय–पेंशन,भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश :–

वर्ष 2008-2009 में रूपये 80.63 लाख का बजट प्रावधानित है जिसमें से दिसम्बर, 2008 तक रूपये 54.16 लाख का व्यय किया गया।

11.5 संचालनालय,अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज :–

वर्ष 2008-2009 में रूपये 2.80 करोड बजट प्रावधान के विरूद्व दिसम्बर, 2008 तक रूपये 1.66 करोड़ का व्यय किया गया।

11.6 संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली :–

वर्ष 2008-2009 में संचालनालय के व्यय हेतु रूपये 39.47 लाख का बजट स्वीकृत किया गया था तथा कटौती उपरांत रूपये 38.25 लाख का आवंटन किया गया। जिसमें से 31, दिसम्बर, 2008 तक रूपये 20.16 लाख का व्यय किया जा चुका है।

भाग–तीन

सामान्य प्रशासनिक विषय

अध्याय–12

सामान्य प्रशासनिक विषय

वित्त विभाग व्दारा वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने तथा विकास कार्यो के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से विभागों को अधिकाधिक वित्तीय अधिकार दिये गये है। शासकीय योजनाओं के पंजीयन, स्वीकृति एवं समीक्षा के लिये कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया है। शासकीय कर्मचारियों का कम्प्यूटराईज्ड डाटाबेस तैयार किया गया है। इस वर्ष विभाग के व्दारा कर्मचारी कल्याण के अनेक कार्य किये गये है जिनका विस्तृत विवरण भाग–चार में दिया गया है। **वर्ष 2008-2009 में बजट में कन्याओं/महिलाओं के लिये** राज्य रखे गये प्रावधानों को पथक से जेण्डर बजट पुस्तिका में दर्शाया गया है।

भाग–चार

अभिनव योजना नवाचार

<u>अध्याय–13</u>

अभिनव योजना नवाचार

<u>13.1(1) राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एस.एफ.एम.एस.) का संधारण एवं संचालन</u> :–राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली राज्य की आय एवं व्यय के प्रबंधन के लिये विकसित की गई एक सुदृढ़ प्रणाली है। राज्य वित्त प्रबंधन का यह साफ्टवेयर चार सब-सिस्टम (एफ0एम0आई0एस0 सबसिस्टम, संचालनालय कोष एवं लेखा सबसिस्टम, जे0डी0 सबसिस्टम, कोषालयीन सबसिस्टम) में विकसित किया गया है जिसके माध्यम से वित्त विभाग की समस्त प्रक्रियाओं के संचालन साथ-साथ संचालनालय कोष एवं लेखा, संभागीय कार्यालयों तथा कोषालयों की समस्त प्रक्रियाओं का संचालन सम्मिलित है। परियोजना को Department of I.T. व Department of Administrative reforms भारत शासन द्वारा 10th National conference of e-governance अंतर्गत **National award for e-governance <u>Gold Icon</u>** on ***Exemplary Horizontal Transfer of ICT based*** प्राप्त हुआ है ।

<u>13.1(2) निर्माण विभागों हेतु नवीन आहरण प्रणाली</u> :- निर्माण विभाग को जारी किये जाने वाले साख पत्र के स्थान पर 1 अप्रैल, 2007 से नवीन आहरण प्रणाली **Works Department Drawl facility (WDDF)** प्रारंभ की गई जिसके तहत सभी आहरण अधिकारियों को ऑन लाइन चैक जनरेशन अपने ही कार्यालय में करने की सुविधा है । उक्त सुविधा के लागू होने के पश्चात् गत वर्षो की तुलना में मासिक व्यय में लगभग 3 गुना तक वृद्धि दर्ज की गई है । कोषालय सर्वर से निर्माण विभागों के आहरण अधिकारियों को डायलअप कनेक्टिविटी से जोड़ा गया था जिसके स्थान पर अब नवीन व्ही. पी. एन. ओ. बी . बी. (V P N o B B) सुविधा की स्वीकृति दी जा चुकी है जिससे कनेक्टिविटी अधिक सुगम और तीव्र हो गई है । संपूर्ण प्रदेश में इस प्रकार की सुविधा पहली बार उपयोग में लाई जा रही है ।

<u>13.1(3) साईबर ट्रेजरी</u> :- cyber treasury की सुविधा हेतु नवीन बेवसाइट **<u>cybertreasury.gov.in</u>** विकसित की गई है । जिससे करदाता सीधे cyber treasury की सुविधा का उपयोग कर कोई भी करदाता ऑनलाइन शासकीय कर जमा कर सकता है । यह सुविधा वाणिज्यकर विभाग हेतु उपलब्ध है व इस वर्ष से परिवहन विभाग हेतु भी उपलब्ध कराई गई है तथा अन्य विभागों हेतु यह सुविधा विकसित की जा रही है । करदाता के लिये cyber treasury सुविधा के उपयोग करने के संबंध में common e - chalan हेतु भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

13.1(4) पेंशनर डाटा बेस :–

एकीकृत कम्प्यूटराईजेशन परियोजना अंतर्गत राज्य के सिविल पेंशन भोगियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से किए जा रहे पेंशन भुगतान के संबंध में समस्त पेंशनरों की जानकारी कम्प्यूटर पर संबंधित कोषालयों में शत्–प्रतिशत् संधारित की जा चुकी है ।

13.1(5) नवीन पेंशन योजना की संरचना :–

नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत NPS Trust के साथ प्रदेश शासन का अनुबंध दिनांक 16.12.2008 को सम्पादित किया । मध्य प्रदेश NPS Trust के साथ अनुबंध करने वाला देश का प्रथम राज्य है । प्रदेश शासन का अनुबंध रिकार्ड कीपिंग ऐजेन्सी NSDL (National Security Deposit Limited) के साथ भी हो चुका है । वित्तीय वर्ष 2008–09 में कर्मचारियों के अंशदान एवं शासकीय अंशदान की राशि को निम्न फण्ड मैंनेजरों

1- LIC Pension Fund Limited
2- UTI Retirement Solution Limited
3- SBI Pension Fund Limited

को हस्तान्तरित किया जायेगा। कर्मचारियों के अंशदान की राशि एवं शासकीय अंशदान की राशि की पृविष्टि कर्मचारियों के खाते में की जाकर शीघ्र लेखा पर्ची जारी की जायेगी ।

13.1(6) केन्द्रीयकृत पेंशन प्रणाली :–

राज्य शासन के पेंशनरों के सही एवं त्वरित पेंशन भुगतान करने, पेंशन में हो रहे अधिक भुगतान को रोकने एवं भविष्य में पेंशन प्रकरणों के पुनरीक्षण के कार्य को व्यवस्थित करने के लिये पेंशन संचालनालय को केन्द्रीय पेंशन कोषालय घोषित किया गया है । वर्तमान में इस कार्यालय के द्वारा पेंशनरों के डाटाबेस को अद्यतन करने का कार्य किया जा रहा है । आगामी दो वर्षो में समस्त पेंशनरों के डाटाबेस को अद्यतन कर पेंशनरों को पहचान पत्र दिये जाने एवं उनके फिंगर प्रिंट का डाटाबेस संधारित कर पेंशन भुगतान की केन्द्रीयकृत व्यवस्था लागू करने की योजना है।

<u>भाग पांच</u>

<u>विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम एवं नियम/विधायी आदेश</u>

अध्याय–14

विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम/नियम/विधायी आदेश

विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम एवं नियम

1. आकस्मिता निधि अधिनियम,1957
2. स्थानीय निधि संपरीक्षा,1973 (क्रमांक 43 सन् 1973)
3. म्ध्यप्रदेश लॉटरी अधिनियम,1973 (क्रमांक 9 सन् 1975)
4. राज्य वित्त निगम अधिनियम,1951 (केन्द्रीय शासन का अधिनियम)
5. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम,1981
6. मध्यप्रदेश विनियम अधिनियम,
7. मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम,1987
8. मध्य प्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम,2000
9. मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम,2000
10. मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम,2005 (क्रमांक 18 सन् 2005)
11. मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता
12. मध्य प्रदेश कोषागार संहिता
13. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1976
14. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम,1977
15. मध्यप्रदेश (यात्रा भत्ता)
16. वेतन निर्धारण नियम
17. मध्यप्रदेश आकस्मिता निधि नियम
18. मध्यप्रदेश राज्य सरकार प्रतिभूति नियम,1976
19. मध्यप्रदेश मूलभूत नियम
20. वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका
21. मध्यप्रदेश धन परिचलन योजना (प्रतिरोध) 1975
22. मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि स्कीम,2001
23. मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण नियम,2003

भाग–छः
विविध

अध्याय–15

सारांश

वित्त विभाग व्दारा राज्य के आय–व्यय का बजट तैयार करने,वित्तीय प्रबंधन,आय के नये स्त्रोतों को तलाशने,शासकीय व्यय में बचत के उपाय करने संबंधी कार्यो के लिये 9 बजट शाखाएं है, जिनमें विभागावार बजट का कार्य आवंटित है। कार्य के शीध्र निराकरण के उददेश्य से सचिवों को विभागवार दायित्व सौंपा गया है। नई योजनाओं के अनुमोदन तथा पुरानी योजनाओं पुनरीक्षण कार्य के लिये तीन स्थायी वित्तीय समितियॉ गठित की गई है। वित्त विभाग व्दारा बनाये गये नियमों/अधिनियमों से संबंधित कार्य नियम शाखा में एवं विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्षों के स्थापना संबंधी कार्य स्थापना शाखा में संपादित किया जाता है।

संचालनालय,कोष एवं लेखा भोपाल में स्थित है! संचालनालय की मुख्य गतिविधियॉ राजकोष प्रशासन का नियंत्रण पेंशन एवं वेतन निर्धारण,लेखा प्रशिक्षण,कोष निरीक्षण,आंतरिक लेखा परीक्षण,मध्यप्रदेश वित्त सेवा,अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं का व्यवस्थापन है। प्रदेश में 53 जिला कोषालय एवं 160 उपकोषालय है, 07 संभागीय कार्यालय, 07 लेखा प्रशिक्षण शालाएं भी है। संचालनालय व्दारा कोषालयों, उपकोषालयों एवं संभागीय संयुक्त संचालकों, कोष लेखा एवं पेंशन के कार्यो के कम्प्यूटराईजेशन की प्रक्रिया पूर्णता पर है।

संचालनालय,स्थानीय निधि संपरीक्षा का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है। संचालनालय व्दारा स्थानीय निकायों तथा स्वशासी संस्थाओं के लेखाओं की संपरीक्षा मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम के अंतर्गत संपादित की जाती है।

संचालनालय,संस्थागत वित्त भोपाल में स्थित है। संचालनालय व्दारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लाभ हेतु भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक ओर नावार्ड व्दारा प्रवर्तित योजनाओं के कियान्वयन में सामान्य सम्पर्क का कार्य निर्वाह कर पर्याप्त संस्थागत वित्त सुलभ कराना है।

संचालनालय,पेंशन को विभागाध्यक्ष का दर्जा दिया जाकर पेशनर्स की समस्याओं के निराकरण,पेंशन कार्य के अंकेक्षण,पेंशन कल्याण के कार्यो का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। म.प्र.शासन,वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 3135/3118/08/ई/चार, दिनांक 01.10.2008 द्वारा पेंशन संचालनालय का नाम परिवर्तित कर ''संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा'' किया गया है। **''संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा''** का पेंशन कार्यो के साथ–साथ विभागीय भविष्य निधि एवं बीमा सह बचत योजना 2003 के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया हैं।

संचालनालय,अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज भोपाल में स्थित है। संचालनालय के पास राज्य के विकास के लिये धरेलू अल्प बचतो का भारत सरकार की अल्प बचत योजनाओं में विनियोजन कराने संबंधी कार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में वर्तमान में लॉटरी व्यवस्था पूर्णतः प्रतिबंधित है।

संचालनालय,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली भोपाल में स्थित है। संचालनालय व्दारा बजट कार्य को कम्प्यूटर के माध्यम से संकलित किया जाता है। वार्षिक बजट संबंधी अन्य आवयश्यक सूचनायें भी उपलब्ध कराई जाती है। संचालनालय व्दारा वित्त विभाग की वेबसाईट भी विकसित की गई है इस वेबसाईट पर विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, विधानसभा में प्रस्तुत किये गये मुख्य बजट की जानकारी उपलब्ध है। विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश वित्त निगम संचालित है। निगम का मुख्यालय इंदौर में है। निगम व्दारा प्रदेश में औधौगिकीकरण को गतिशील बनाने के उददेश्य से कार्य–मियादी ऋण प्रदान करने के साथ–साथ व्यवसायें के विविध क्षेत्रों में भी ऋण प्रदान किया जाता है। निगम व्दारा शासन की नीति की अनुरूप अपने कार्यकलापों के विस्तार एवं तकनीकी उन्नयन आदि पर विशेष बल दिया गया है। पश्चिमी क्षेत्र के राज्य वित्त निगमों की तुलना में मध्यप्रदेश वित्त निगम का प्रदर्शन वर्ष 2000-2001 में सर्वश्रेष्ठ रहा। भारतीय औधौगिकी विकास बैंक ने अपने पश्चिमी क्षेत्र के वित्त निगम की समीक्षा रिपोर्ट में इस तथ्य का विशेष रूप से उल्लेख किया है।

विभाग के अंतर्गत प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी है, जिसका मुख्यालय मुम्बई में है। कम्पनी का मुख्य कार्य पूंजीनिवेश कर लाभ कमाना है। कम्पनी की सम्पत्ति केरल राज्य में भी है। यह कम्पनी निरंतर लाभ में चह रही है।